78

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अठहत्तरवां प्रतिवेदन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा

22.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर 2022/ अग्रहायण 1944 (शक)

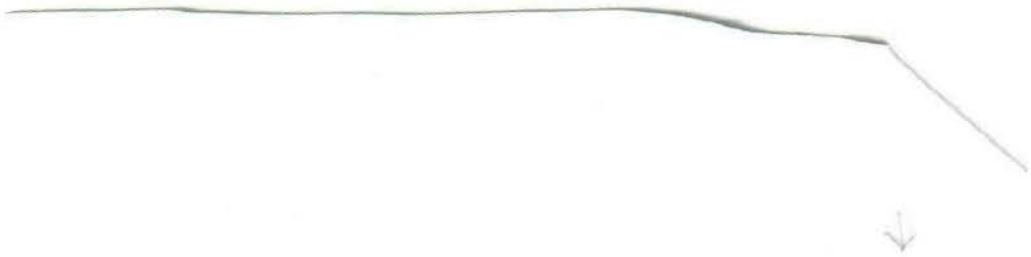

	विषय सूची	पृष्ठ
I.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना	iv
II.	प्राक्कथन	v
	प्रतिवेदन	
I.	प्रस्तावना	1-19
II.	कार्यान्वयन प्रतिवेदन	20-21
	परिशिष्ट	
I.	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका से उद्धरण	22-26
II.	'नदी क्षेत्र नियंत्रण अधिनियम' विषय के संबंध में दिनांक 08.08.2011 का अता.प्र.सं. 1175	27
III.	'नदी नियमन क्षेत्र' विषय के संबंध में दिनांक 21.05.2012 का अता.प्र.सं. 7245	28
IV.	'नदी विनियामक ज़ोन' विषय के संबंध में दिनांक 17.12.2012 का अता.प्र.सं. 3688	29
V.	'शिकार का विनियमन' विषय के संबंध में दिनांक 01.12.2015 का अता.प्र.सं. 415	30
VI.	'समुद्रतट का प्रबंधन' विषय के संबंध में दिनांक 15.12.2015 का ता.प्र.सं. 224 (डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	31-40
VII.	'वन नीति का कार्यान्वयन' विषय के संबंध में दिनांक 25.07.2017 का अता.प्र.सं. 1587	41

VIII.	'पश्चिमी घाटों का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' विषय के संबंध में दिनांक 14.12.2018 का अता.प्र.सं. 847	42
IX.	'पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र' विषय के संबंध में दिनांक 08.02.2019 का अता.प्र.सं. 1051	43
X.	'पश्चिमी घाटों का संरक्षण' विषय के संबंध में दिनांक 08.02.2019 का अता.प्र.सं. 1122	44
XI.	'वन आधारित परियोजनाएं' विषय के संबंध में दिनांक 21.06.2019 का अता.प्र.सं. 80	45-46
XII.	'जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन' विषय के संबंध में दिनांक 12.07.2019 का ता.प्र.सं. 296	47-48
XIII.	'ईआईए अधिसूचना में संशोधन' विषय के संबंध में दिनांक 19.07.2019 का अता.प्र.सं. 4538	49
XIV.	'प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग' विषय के संबंध में दिनांक 22.11.2019 का ता.प्र.सं. 82 (श्रीमती मेनका संजय गांधी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	50-55
XV.	'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' विषय के संबंध में दिनांक 22.11.2019 का अता.प्र.सं. 1042	56-57
XVI.	'वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण' विषय के संबंध में दिनांक 29.11.2019 का अता.प्र.सं. 2060	58-61
XVII.	'पर्यावरण संरक्षण' विषय के संबंध में दिनांक 06.12.2019 का ता.प्र.सं. 268	62-71

	(श्री अनिल फिरोजिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	
XVIII.	'पशुओं और पक्षियों का शिकार' विषय के संबंध में दिनांक 06.12.2019 का अता.प्र.सं. 3084	72
XIX.	'मिथाइल आइसोसाइनेट पर प्रतिबंध' विषय के संबंध में दिनांक 07.02.2020 का अता.प्र.सं. 1109	73
XX.	'नदी तटों पर मृदा अपरदन' विषय के संबंध में दिनांक 06.03.2020 का अता.प्र.सं. 2660	74
XXI.	'वृक्षारोपण' विषय के संबंध में दिनांक 13.03.2020 का अता.प्र.सं. 3222	75-76
XXII.	'सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी' विषय के संबंध में दिनांक 20.03.2020 का ता.प्र.सं. 381	77-82
XXIII.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 06 जून 2022 की बैठक का कार्यवाही सारांश	83-87
XXIV.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की 20 दिसंबर 2022 की बैठक का कार्यवाही सारांश	88-89
XXV.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना	90

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023)*
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री अशोक महादेवराव नेते
8. श्री संतोष पान्डेय
9. श्री एम.के. राघवन
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
13. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुप्ता - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2022 से किया गया है, देखिए दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 5363

प्राक्कथन

मैं, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के इस अठहत्तरवां प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) को प्रस्तुत करता हूँ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 06 जून, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में लंबित आश्वासनों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए थे।

3. 20 दिसंबर 2022 को हुई अपनी बैठक में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन का भाग हैं।

5. संदर्भ और सुविधा की सुगमता के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
20 दिसंबर ,2022
29 अग्रहायण, 1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

एक. प्रस्तावना

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सभा में समय-समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, किए गए वादों आदि की जांच करती है और इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि ऐसे आश्वासनों, वादों, वचनों आदि को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है। सभा में कोई आश्वासन दिए जाने के पश्चात् उसे तीन महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासन को निर्धारित तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में समय-विस्तार की मांग करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय/विभाग किसी आश्वासन को कार्यान्वित करने में असमर्थ हो, वहां उन्हें आश्वासन को छोड़ने के लिए समिति से अनुरोध करना होता है। समिति ऐसे अनुरोधों पर विचार करती है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होती है कि बताए गए आधार तर्कसंगत हैं, तो आश्वासन को छोड़ने की स्वीकृति देती है। समिति इस बात की भी जांच करती है कि क्या आश्वासनों का कार्यान्वयन उस प्रयोजनार्थ आवश्यक न्यूनतम समय के अंदर हुआ है अथवा नहीं तथा आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा किया गया है ।

2. भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय से आश्वासनों का रजिस्टर बनाए रखने और आश्वासनों के कार्यान्वयन में देरी को कम करने के लिए आवधिक समीक्षा किए जाने के अलावा आश्वासन की परिभाषा, इसे पूरा करने की समय-सीमा, इसे छोड़ने/इसका लोप करने और समय विस्तार, इसे पूरा करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करने संबंधी उद्धरणों को परिशिष्टि -एक में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2009-2010) ने लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने, लंबित होने के कारणों की जांच करने, आश्वासनों पर कार्रवाई करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में निर्धारित प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने का नीतिगत निर्णय लिया। समिति ने सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये आश्वासनों की गुणवत्ता को भी देखने का निर्णय लिया ।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2014-15) ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने की सुस्थापित और समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रक्रिया का पालन करने और लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने का निर्णय लिया। समिति ने एक कदम और बढ़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी बुलाने का निर्णय लिया क्योंकि सभी आश्वासनों का कार्यान्वयन उनके माध्यम से किया जाता है।

5. उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को 06 जून, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में बुलाया। समिति ने निम्नलिखित 21 आश्वासनों (परिशिष्ट दो से बाईस) की विस्तृत जांच की:-

सारणी एक

क्रम सं	ता.प्र./अता.प्र.सं और दिनांक	विषय
1.	अता.प्र.सं. 1175 दिनांक 08.08.2011	नदी क्षेत्र नियंत्रण अधिनियम (परिशिष्ट-दो)
2.	अता.प्र.सं. 7245	नदी विनियमन क्षेत्र

	दिनांक 21.05.2012	(परिशिष्ट-तीन)
3.	अता.प्र.सं. 3688 दिनांक 17.12.2012	नदी विनियामक ज़ोन (परिशिष्ट-चार)
4.	अता.प्र.सं. 415 दिनांक 01.12.2015	शिकार का विनियमन (परिशिष्ट-पांच)
5.	ता.प्र.सं. 224 दिनांक 15.12.2015 (डॉ. मनोज रजोरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	समुद्रतट का प्रबंधन (परिशिष्ट-छह)
6.	अता.प्र.सं.1587 दिनांक 25.07.2017	वन नीति का कार्यान्वयन (परिशिष्ट-सात)
7.	अता.प्र.सं.847 दिनांक 14.12.2018	पश्चिमी घाटों का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (परिशिष्ट-आठ)
8.	अता.प्र.सं.1051 दिनांक 08.02.2019	पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (परिशिष्ट-नौ)
9.	अता.प्र.सं.1122 दिनांक 08.02.2019	पश्चिमी घाटों का संरक्षण (परिशिष्ट-दस)
10.	अता.प्र.सं.80 दिनांक 21.06.2019	वन आधारित परियोजनाएं (परिशिष्ट-ग्यारह)
11.	ता.प्र.सं.296	जैव विविधता अधिनियम, 2002 में

	दिनांक 12.07.2019	संशोधन (परिशिष्ट-बारह)
12.	अता.प्र.सं.4538 दिनांक 19.07.2019	ईआईए अधिसूचना में संशोधन (परिशिष्ट-तेरह)
13.	ता.प्र.सं.82 दिनांक 22.11.2019 (श्रीमती मेनका गांधी,संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग (परिशिष्ट-चौदह)
14.	अता.प्र.सं.1042 दिनांक 22.11.2019	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (परिशिष्ट-पंद्रह)
15.	अता.प्र.सं.2060 दिनांक 29.11.2019	वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण (परिशिष्ट-सोलह)
16.	ता.प्र.सं.268 दिनांक 06.12.2019 (श्री अनिल फिरोजिया,संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	पर्यावरण संरक्षण (परिशिष्ट-सत्रह)
17.	अता.प्र.सं.3084 दिनांक 06.12.2019	पशुओं और पक्षियों का शिकार (परिशिष्ट-अठारह)
18.	अता.प्र.सं.1109 दिनांक 07.02.2020	मिथाइल आइसोसाइनेट पर प्रतिबंध (परिशिष्ट-उन्नीस)
19.	अता.प्र.सं.2660 दिनांक 06.03.2020	नदी तटों पर मृदा अपरदन (परिशिष्ट-बीस)

20.	अता.प्र.सं.3222 दिनांक 13.03.2020	वृक्षारोपण (परिशिष्ट-इक्कीस)
21.	ता.प्र.सं.381 दिनांक 20.03.2020	सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (परिशिष्ट-बाईस)

6. मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालयों/विभागों को तीन महीने की अवधि के भीतर आश्वासन को पूरा करना होता है और यदि मंत्रालय/विभाग उस समयावधि के भीतर आश्वासन को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए समय बढ़ाने की मांग करना अनिवार्य हो जाता है। समिति ने यह भी पाया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास 49 आश्वासन लंबित हैं जिनमें से 03 आश्वासन 15वीं लोकसभा, 06 आश्वासन 16वीं लोकसभा और 40 आश्वासन 17वीं लोक सभा से संबंधित हैं। चूंकि 15वीं और 16वीं लोक सभा से संबंधित आश्वासन बहुत पुराने थे और लगभग 11 वर्ष से लेकर 03 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे तथा इन आश्वासनों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ है, अतः समिति ने लंबित आश्वासनों को पूरा करने में हो रहे विलंब को कम करने हेतु मंत्रालय में विद्यमान निगरानी और आवधिक समीक्षा की प्रणाली और संसदीय आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध तंत्र के संबंध में पूछा। उत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने समिति को निम्नवत् बताया:

"माननीय मंत्री द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन एक प्रकार से सरकार की ओर से आश्वासन होते हैं और उससे संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध करानी होती है। इस दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आश्वासनों को समय के भीतर पूरा किया जाए। स्थिति या मामला जो भी हो, चाहे वह किसी विशेष परियोजना के संबंध में ही क्यूँ न हो, इसे यथाशीघ्र समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए। हम इसे प्राथमिकता के आधार पर करने की कोशिश करते

हैं। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय में संबंधित प्रभागीय प्रमुख आश्वासनों के संबंध में निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के माध्यम से उनके कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाती है ताकि हमें जो जानकारी देनी है वह माननीय मंत्री जी से अनुमोदन के पश्चात उपलब्ध कराई जाए या फिर अधिक समय मांगा जा रहा हो तो वह व्यवस्था भी समय-सीमा में की जाए।"

7. समिति ने लंबित आश्वासनों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठकों की आवृत्ति के संबंध में विशेष रूप से जानना चाहा जिस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने कहा कि इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है और वे पिछले एक या दो महीनों से नियमित रूप से समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

8. इसके बाद, संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 27.07.2022 को क्रम सं. 1,2,3,4,5,13,14, 15,16,19,20 और 21 में उल्लिखित 12 आश्वासनों और 08.08.2022 को क्रम सं. 10 और 18 में उल्लिखित 02 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे।

टिप्पणियां/सिफारिशें

9. समिति नोट करती है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों संबंधी 49 आश्वासन कार्यान्वयन के लिए लंबित थे। समिति आगे नोट करती है कि मौखिक साक्ष्य के दौरान उनके द्वारा लिए गए 21 आश्वासनों में से क्रम सं. 1, 2, 3, 4, 5, 13,14,15,16,19,20 और 21 पर उल्लिखित 12 आश्वासनों को 27.07.2022 को कार्यान्वित किया गया और क्रम सं. 10 और 18 पर उल्लिखित 02 आश्वासनों को 08.08.2022 को कार्यान्वित किया गया। पहले 12 आश्वासनों और अन्य आश्वासनों को कार्यान्वित करने में क्रमशः 11 वर्ष से लेकर 03 वर्ष से अधिक का विलंब हुआ है। जहां तक

अन्य आश्वासनों का संबंध है क्रम सं. **6,7,8,9,11,12** और **17** पर उल्लिखित 07 आश्वासन अभी भी पूरे नहीं किए जा सके। आश्वासनों को पूरा करने में इस प्रकार का अत्यधिक विलंब इस तथ्य का सूचक है कि मंत्रालय द्वारा आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए की गई मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। समिति इस बात से पूर्णतः अवगत है कि कुछ आश्वासनों, विशेष रूप से नीतिगत मामले, विवादास्पद मुद्दे और वे आश्वासन जिनमें अन्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों, राज्य सरकार आदि को शामिल किया गया हो, का कार्यान्वयन निर्धारित समयावधि के भीतर निष्पादित करना कठिन हो सकता है और इसके लिए और अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। तथापि, इन आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा सतत् प्रयास किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये प्रतिबद्धतायुक्त संसदीय दायित्व हैं। समिति का मानना है कि आश्वासनों की समयबद्ध पूर्ति से आम आदमी का शासन में विश्वास बहाल होता है और यदि इसे पूरा करने में अत्यधिक देरी होती है तो आश्वासनों की उपयोगिता और प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा आश्वासनों की समीक्षा के वर्तमान तंत्र को अनिवार्य रूप से परिणामोन्मुखी नियमित समीक्षाओं के साथ जोड़कर सुव्यवस्थित बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि आश्वासनों, विशेषकर लंबित आश्वासनों को पूरा करने में अनुचित विलंब से बचा जा सके। अतः, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए और आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/विभागों, एजेंसियों, संबंधित राज्य सरकारों जैसे सभी हितधारकों के साथ समन्वय के स्तर को बढ़ाए। समिति चाहती है कि सभी लंबित आश्वासनों की गहन जांच की जाए और उनके परिणाम समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएं। समिति यह भी चाहती है कि आश्वासनों के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा के लिए समीक्षा बैठकों के कार्यवाही सारांश उनके समक्ष अवश्य प्रस्तुत किए जाएं क्योंकि इससे समिति को आश्वासनों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रगति का आकलन करने में मदद मिलेगी। समिति यह भी चाहती है

कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लंबित आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली में निहित अनुदेशों का अक्षरश: पालन करे।

दो. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा

10. अनुवर्ती पैराग्राफों में, समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लंबित आश्वासनों जिनकी 06.06.2022 को आयोजित बैठक में गहन जांच/समीक्षा की गई है, पर विचार किया है।

क. वन नीति का कार्यान्वयन

'वन नीति का कार्यान्वयन' विषय से संबंधित दिनांक 25.07.2017 का अता.प्र.सं.1587 (क्रम सं. 06)

11. दिनांक 25.07.2017 के अता.प्र.सं.1587 के उत्तर में यह बताया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वन नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी प्रतिवेदन की जानकारी नहीं थी। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के अंतर्गत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल को राष्ट्रीय वन नीति संबंधी दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया था। आईआईएफएम ने प्रारूप नीति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय वन नीति को अंतिम रूप नहीं दिया है।

12. जून, 2022 में प्रस्तुत अपने स्थिति नोट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आश्वासन के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नवत् स्थिति से अवगत कराया:–

"मंत्रालय द्वारा 21.05.2020 को कैबिनेट सचिवालय को राष्ट्रीय वन नीति 2020 पर एक कैबिनेट नोट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। नोट को सार्वजनिक परामर्श और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद तैयार किया गया था। कैबिनेट सचिवालय ने 23.09.2021 को कैबिनेट नोट वापस कर दिया, जिसमें मंत्रालय से एक उप-श्रेणी/संशोधित नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, राष्ट्रीय वन नीति, 2022 पर एक संशोधित कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।"

13. मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासन के कार्यान्वयन पर अद्यतन जानकारी देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने निम्नवत् बताया: –

"यह आश्वासन वन नीति से संबंधित है। वर्ष 2020 में एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया था। चूंकि कतिपय कारणों से इसे मंजूरी नहीं मिल सकी, इसलिए इसे फिर से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि आज की तारीख में एक वन नीति पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा भारतीय वन अधिनियम भी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संसद में संशोधन के लिए विचाराधीन है। वन अधिकार अधिनियम भी है। वन और वन्यजीव के सभी विषयों पर किसी न किसी नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है।"

14. समिति ने पाया कि मंत्रालय ने पहले आश्वासन को छोड़ देने का अनुरोध किया था। तथापि, मंत्रालय के अनुरोध को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। समिति ने यह पूछा कि मंत्रालय के अनुरोध को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद से आश्वासन की स्थिति में क्या अंतर आया है और इस विषय पर समिति के 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया कि उन्होंने 23 सितंबर, 2021 को कैबिनेट नोट पुनः

प्रस्तुत किया था, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद यह वापस आ गया था और वे इसे पुनः अद्यतन कर रहे हैं।

टिप्पणियां/सिफारिशें

15. समिति नोट करती है कि देश के अमूल्य सघन वनों के प्रभावी संरक्षण, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए वन नीति का कार्यान्वयन आवश्यक है। पर्यावरणीय स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन सहित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन नीति के कार्यान्वयन पर कार्य करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है क्योंकि यह जीवन के सभी रूपों यथा मानव, पशु और पौधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। समिति का मानना है कि मंत्रालय वन नीति को लागू करने के लिए गंभीर नहीं है क्योंकि **25.07.2017** को सभा में दिए गए आश्वासन को **5** साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया गया है और यह मुद्दा अभी भी बिना किसी प्रगति के लंबित है। समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय ने इस नीति के कार्यान्वयन के लिए पहल की है और सार्वजनिक परामर्श और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद राष्ट्रीय वन नीति **2020** पर एक कैबिनेट नोट तैयार किया है। नोट को अनुमोदन हेतु **21.05.2020** को कैबिनेट सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था। समिति ने आगे नोट किया कि कैबिनेट सचिवालय के अनुदेशों के अनुसार संशोधित कैबिनेट नोट अभी भी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, समिति स्पष्ट रूप से यह मानती है कि आश्वासनों को पूरा करने में काफी विलंब हुआ है। समिति इस बात पर जोर देती है कि देश को न केवल आगे की तैयारी करने के लिए बल्कि भारत के वर्तमान वनों के संरक्षण के लिए उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक उचित और भावी वन नीति की अत्यंत आवश्यकता है, जो पहले से ही ईंधन, चारा, चराई, लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पादों की बढ़ती मांगों के साथ-साथ वनों के संरक्षण और कुशलतापूर्वक प्रबंधन में हितधारकों की भागीदारी की कमी के कारण गंभीर दबाव में हैं।

समिति द्वारा घटनाओं के क्रम की जांच से यह भी पता चला है कि आश्वासन को छोड़ने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के

अनुरोध को समिति द्वारा **04.12.2019** और **19.01.2021** को आयोजित अपनी बैठकों में स्वीकार नहीं किया गया था। इस विषय पर समिति का छठा और **47**वां प्रतिवेदन (**17**वीं लोकसभा) क्रमशः **20.09.2020** और **03.08.2021** को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समिति ने वनों के संरक्षण, विस्तार और सतत् प्रबंधन के आधार पर पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने और लोगों और भावी पीढ़ियों की आजीविका की सुरक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और यह महसूस किया कि आश्वासन को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। समिति ने मंत्रालय को निदेश दिया था कि वह संबंधित हितधारकों/एजेंसियों के साथ इस मामले को गंभीरता से उठाए और यथाशीघ्र आश्वासन को कार्यान्वित करे। अतः, विभाग इस आश्वासन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कम से कम वर्ष **2020** से ठोस और समन्वित प्रयास कर सकता था। वन नीति के कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता के साथ-साथ इस विषय के महत्व और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, समिति पुनः मंत्रालय से समिति की सिफारिशों को गंभीरता से लेने और समयबद्ध तरीके से आश्वासन को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह करती है ताकि आश्वासन को पूरा करने में और विलंब न हो।

ख. पश्चिमी घाटों का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र

(i) 'पश्चिमी घाटों का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' (क्रम संख्या 07) से संबंधित दिनांक 14.12.2018 का अता.प्र.सं 847

(ii) 'पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (क्रम संख्या 08) से संबंधित दिनांक 08.02.2019 का अता.प्र.सं 1051

(iii) 'पश्चिमी घाटों का संरक्षण' (क्रम संख्या 09) से संबंधित दिनांक 08.02.2019 का अता.प्र.सं 1122

16. उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर में, यह बताया गया था कि 03.10.2018 को नवीनतम प्रारूप अधिसूचना को फिर से प्रकाशित करने के बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा की राज्य सरकारों के विचार/टिप्पणियां मांगी हैं। यह भी बताया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से पश्चिमी घाट क्षेत्र के लोगों/हितधारकों और संबंधित राज्य सरकारों के विचारों पर विधिवत विचार करते हुए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) अधिसूचना को अंतिम रूप देने का इच्छुक है।

17. आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों पर एक अद्यतन जानकारी देते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने जून, 2022 में अपने स्टेटस नोट में कहा कि मंत्रालय द्वारा संबंधित हितधारकों जैसे राज्य सरकारों के साथ गोपनीय वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे पर अभिसरण लाने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए हैं अर्थात राज्य सरकारों, जनप्रतिनिधियों और बड़े पैमाने पर आम जनता, प्रत्येक हितधारक की ओर से आशंकाएं और आपत्तियां बनी हुई हैं। मंत्रालय ने निषिद्ध और विनियमित दोनों गतिविधियों की प्रोफाइल में उपयुक्त संशोधन करने का भी प्रयास किया है, ताकि लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ईएसए के भीतर मुख्य क्षेत्रों और उक्त ईएसए में गैर-प्रमुख क्षेत्रों (प्रतिबंधों में ढील के साथ) का एक दृष्टिकोण भी प्रस्तावित किया गया था ताकि उनके विकास और संवर्धन के संबंध में लोगों की स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तथापि, संबंधित राज्यों, नेताओं और सरकारी निकायों की आशंकाएं बनी हुई हैं। इसलिए, मंत्रालय ने का.ज्ञा. दिनांक 18.04.2022 के माध्यम से नैसर्गिक पर्यावरण के संरक्षण और क्षेत्रों के अधिकारों, आवश्यकताओं और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से छह राज्य सरकारों नामत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सुझावों की पुन जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

18. विलंब के कारणों के बारे में पुछे जाने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने आश्वासनों को लागू करने में विलंब के कारणों के बारे में निमन्वत बताया: -

"ये तीन आश्वासन पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित हैं। इस मामले में अधिसूचना का एक प्रारूप सरकारी डोमेन में रखा गया है। राज्य सरकारों से भी सुझावों और समस्याओं का उल्लेख करते हुए संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसकी वैधता के दौरान एक समिति का भी गठन किया गया है। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक राज्य में जाएगी और राज्य सरकार तथा जन-प्रतिनिधियों के साथ संपर्क स्थापित करेगी और संवेदनशील क्षेत्र को किस प्रकार अंतिम रूप दिया जा सकता है, इस संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। वर्तमान में, यह समिति अस्तित्व में है और प्रारूप अधिसूचना भी सरकारी डोमेन में है। चूंकि प्रभावित लोगों द्वारा इतने सारे मुद्दे उठाए गए हैं, इसलिए इसमें अधिक समय लगेगा। इसलिए हमने अनुरोध किया है कि और समय दिया जाना चाहिए।"

19. यह देखते हुए कि मंत्रालय ने आश्वासनों को पूरा करने के लिए पूरे एक वर्ष के विस्तार का अनुरोध किया है, समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय पश्चिमी घाट के सभी राज्यों से सुझाव आमंत्रित कर रहा है, जिस का मंत्रालय ने हाँ में उत्तर दिया। इसके बाद समिति ने विशेष रूप से यह पूछा कि क्या इन राज्यों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। जिस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने निम्नानुसार बताया:

'इस समिति की बैठकें भी हो चुकी हैं। इस समिति की बैठक 26 अप्रैल और 4 मई, 2022 को हुई है। उसके बाद 14 से 16 मई, 2022 को कर्नाटक और गोवा में बैठकें हो चुकी हैं। इस तरह, समिति तत्कालबैठक करती है

और जो भी चिंताएं और मुद्दे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करती है। उसके बाद ही वे अपनी सिफारिशें दे पाएंगे। इसलिए इसमें समय लगने की संभावना है।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

20. समिति ने नोट किया कि पश्चिमी घाटों के ईको-सेंसेटिव क्षेत्रों के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर 2018 और 2019 में सदन में दिए गए बारंबार आश्वासनों को लगभग 4 वर्ष बीत हो जाने के बाद भी लागू नहीं किया गया है। यह मुद्दा बिना किसी ठोस परिणाम के लंबित है। समिति को विश्वास दिलाया गया है कि पश्चिमी घाटों की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) की स्थापना की थी, जिसके बाद उच्च स्तरीय कार्य समूह (एचएलडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) को घोषित करने के लिए एचएलडब्ल्यूजी की सिफारिश के आधार पर, सरकार ने 10.02.2014 को पहली प्रारूप अधिसूचना जारी की थी। बाद में, अधिसूचना प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, प्रारूप अधिसूचना को 04.09.2015 और 27.02.2017 को पुनःप्रकाशित किया गया था और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने विभिन्न स्तरों पर पश्चिमी घाट क्षेत्र के सभी राज्यों के साथ कई बैठकें आयोजित की थीं। संबंधित हितधारकों जैसे राज्य सरकारों, जन प्रतिनिधियों और आम जनता के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से मुद्दों पर तालमेल बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा सभी संभव प्रयास किए गए थे, हालांकि, प्रत्येक हितधारक की आशंकाओं और आपत्तियों का कोई समाधान नहीं निकला हैं। समिति ने आगे नोट किया कि नैसर्गिक पर्यावरण के संरक्षण और क्षेत्रों के अधिकारों, आवश्यकताओं और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से छह राज्य सरकारों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सुझावों की

फिर से जांच करने के लिए एक समर्पित समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया था। साक्ष्य के दौरान समिति को यह भी सूचित किया गया था कि अधिसूचना को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था और सुझावों और समस्याओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकारों से संदर्भ आए थे। उक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक समिति का भी गठन किया गया है। वर्तमान में, यह समिति अस्तित्व में है और प्रारूप अधिसूचना भी सार्वजनिक डोमेन में है। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि चूंकि प्रभावित राज्यों/व्यक्तियों द्वारा कई मुद्दों/बिन्दुओं को उठाया गया है, इसलिए इस मामले में समय लगेगा और इसलिए आश्वासन को पूरा करने के लिए और समय विस्तार का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि समिति ने संबंधित राज्य सरकारों की चिंताओं और मुद्दों को समझने के लिए 26 अप्रैल और 4 मई, 2022 और फिर 14 से 16 मई, 2022 को तत्काल बैठक की है। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने आगे बताया कि एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी और इसमें समय लगने की संभावना है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि यह मामला एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, समिति ने पाया कि मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों से कोई निर्धारित कार्रवाई नहीं हुई है। समिति पर्यावरण की रक्षा और पोषण के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए नीति तैयार करने के महत्व और आवश्यकता पर जोर देती है, जो दुनिया भर में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। समिति चाहती है कि मंत्रालय पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे और आश्वासन को यथाशीघ्र पूरा करे।

ग. ईआईए अधिसूचना में संशोधन

'ईआईए अधिसूचना में संशोधन' (क्रम संख्या12) से संबंधित दिनांक 19.07.2019 अता.प्र.सं 4538

21. 'ईआईए अधिसूचना में संशोधन' से संबंधित दिनांक 19.07.2019 के अता.प्र.सं4538 के उत्तर में, यह कहा गया था कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2019 का शून्य प्रारूप सभी राज्य सरकारों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / प्रदूषण नियंत्रण समितियों को उनकी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझाव मांगने हेतु भेज दिया गया है।

22. जून, 2022 में प्रस्तुत अपने स्टेटस नोट में, मंत्रालय ने बताया कि प्रारूप ईआईए अधिसूचना 2020 को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 (3) के अनुसार 11.04.2020 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, ताकि इससे प्रभावित होने वाले संभावित लोगों को जानकारी मिल सके और 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर सुझाव दिए जा सकें। हालांकि, प्रारूप अधिसूचना कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों और अदालत के निदेशों को ध्यान में रखते हुए 11.08.2020 तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध थी। 20 लाख से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। प्रारूप ईआईए अधिसूचना, 2020 पर सभी हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के संकलन और मिलान से संबंधित कार्य एनईईआरआई, नागपुर को प्रदान किया गया था। एनईईआरआई ने अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश पर ईआईए अधिसूचना प्रारूप, 2020 को 22 स्थानीय भाषाओं में अनुवादित संस्करणों को मंत्रालय की वेबसाइट के साथ-साथ राज्य पर्यावरण विभाग और एसपीसीबी की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था, और अधिसूचना पर टिप्पणियां /आपत्तियां भेजने के लिए 60 दिनों की समय अवधि प्रदान की गई थी। टिप्पणियां/आपत्तियां भेजने की समयावधि 15.12.2021 को समाप्त हो गई। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित ई-मेल पते पर लगभग 725 टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। ईआईए अधिसूचना, 2020 के प्रारूप पर

प्राप्त टिप्पणियों के संकलन और मिलान के अतिरिक्त कार्य के लिए दिनांक 14.02.2022 के पत्र द्वारा एनईईआरआई को कार्य आदेश जारी किया गया है और उन्होंने प्रारूप प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस बीच, पर्यावरण संरक्षण नियम, दिनांक 16.06.2021 के संशोधन के कारण, ईआईए अधिसूचना प्रारूप 2020 जो 06.04.2022 को समाप्त होने वाली थी, जो अब 30.10.2022 तक वैध है। अधिसूचना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

23. मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासन के कार्यान्वयन पर एक अद्यतन जानकारी देते हुए, सचिव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी प्रदान की: -

> *"यह आश्वासन पर्यावरण प्रभाव आकलन पर अधिसूचना के संबंध में है कि क्या इसके लिए टिप्पणियां, विचार और सुझाव लिए जा रहे हैं और उन्हें कब अंतिम रूप दिया जा सकता है। अधिसूचना सरकारी डोमेन में थी और कोविड के दौरान हर प्रक्रिया में देरी हुई। इसलिए, इस बीच प्रारूप अधिसूचनाओं का अनुवाद किया गया।"*

24. समिति ने पाया कि मंत्रालय ने अपने स्टेटस नोट में कहा है कि एनईईआरआई ने अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। तथापि, मंत्रालय ने उस तिथि का ब्यौरा नहीं दिया है जिस दिन एनईईआरआई द्वारा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। समिति ने तब यह जानना चाहा कि एनईईआरआई का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नानुसार उत्तर दिया: -

> *"यह प्रतिवेदन सितंबर 2021 के दौरान सौंपा गया था। एनईईआरआई द्वारा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का एक आदेश आया जिसमें कहा गया था कि आपको 22 भाषाओं में इसका अनुवाद करना होगा। यही कारण है कि हम एनईईआरआई के प्रतिवेदन को आगे नहीं ले जा सके और इसे स्वीकार भी नहीं कर सके। उच्च न्यायालय*

के इस आदेश के अनुसार, हमने इसका अनुवाद किया है और इसे 60 दिन हेतु अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। लगभग 700 से 800 टिप्पणियां आईं और एनईईआरआई को अतिरिक्त काम दिया गया। यह वो कार्य कर रहे थे, लेकिन इस बीच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। हम उन टिप्पणियों को संकलित कर रहे हैं जो अब आई हैं। हम उन्हें संकलित और जांचकर आगे का काम करेंगे।"

टिप्पणियाँ/सिफारिशें

25. समिति नोट करती है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना में संशोधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर एक और आश्वासन 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यान्वयन हेतु लंबित है। इसके कार्यान्वयन के संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि ईआईए अधिसूचना 2020 का प्रारूप, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 (3) के अनुसार 11.04.2020 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, ताकि इससे प्रभावित होने वाली जनता को जानकारी मिल सके और 60 दिनों के भीतर प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर सुझाव दिए जा सकें। प्रारूप अधिसूचना को कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों और न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 11.08.2020 तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया गया था। 20 लाख से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुईं। ईआईए अधिसूचना, 2020 प्रारूप पर सभी हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के संकलन और तुलना से संबंधित कार्य नीरी (एनईईआरआई) , नागपुर को दिया गया था। नीरी ने सितंबर, 2021 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ईआईए अधिसूचना 2020 के प्रारूप के 22 स्थानीय भाषाओं में अनुवादित संस्करणों को मंत्रालय की वेबसाइट के साथ-साथ राज्य पर्यावरण विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) की वेबसाइट के माध्यम से

सार्वजनिक डोमेन में रखा गया और अधिसूचना पर टिप्पणियां/आपत्तियां भेजने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया था। टिप्पणियां/आपत्तियां भेजने की समयावधि 15.12.2021 को समाप्त हो गई। इस उद्देश्य के लिए नामित ई-मेल पर लगभग 725 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। ईआईए अधिसूचना, 2020 के प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियों के संकलन और तुलना के अतिरिक्त कार्य के लिए कार्य आदेश दिनांक 14.02.2022 के पत्र द्वारा नीरी को जारी किया गया था। इस बीच, पर्यावरण संरक्षण नियमों के दिनांक 16.06.2021 के संशोधन के कारण प्रारूप ईआईए अधिसूचना 2020 जो 06.04.2022 तक वैध था, उसे 30.10.2022 तक के लिए वैध कर दिया गया। मंत्रालय ने समिति को आगे सूचित किया कि अधिसूचना को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों से इस महत्वपूर्ण आश्वासन को लागू नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि ईआईए अधिसूचनाओं के संशोधन में समय लग रहा है क्योंकि कोविड महामारी के कारण हर प्रक्रिया में देरी हुई है। इसके अलावा, इस कार्य में विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा शामिल थी जो एक विस्तृत और लंबी प्रक्रिया है। इस मामले में मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बावजूद, तथ्य यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आश्वासन के कार्यान्वयन में अत्यधिक देरी हुई है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को बढ़ावा देने और बनाए रखने में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की प्रासंगिकता और सतत विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में इसके महत्व पर अधिकाधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है । उभरते परिदृश्य में आश्वासन के महत्व और विषय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आश्वासन को शीघ्र पूरा करने के लिए भरपूर और जोरदार प्रयास करने की सिफारिश करती है।

तीन. कार्यान्वयन प्रतिवेदन

26. संसदीय कार्य मंत्रालय के कथनों के अनुसार, निम्नलिखित 14 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन 27.07.2022 और 08.08.2022 को सदन के पटल पर रखे गए हैं:

सारणी 2

क्र. सं.	सारणी 1 में क्र. सं. (पैरा सं. 4)	ता./अ ता. प्रश्न सं. और तिथि	कार्यान्वयन की तिथि
1.	क्र. सं. 1	'नदी क्षेत्र नियंत्रण अधिनियम' विषय के संबंध में दिनांक 08.08.2011 का अता.प्र.सं. 1175	27.07.2022
2.	क्र. सं. 2	'नदी नियमन क्षेत्र' विषय के संबंध में दिनांक 21.05.2012 का अता.प्र.सं. 7245	27.07.2022
3.	क्र. सं. 3	'नदी विनियामक ज़ोन' विषय के संबंध में दिनांक 17.12.2012 का अता.प्र.सं. 3688	27.07.2022
4.	क्र. सं. 4	'शिकार का विनियमन' विषय के संबंध में दिनांक 01.12.2015 का अता.प्र.सं. 415	27.07.2022
5.	क्र. सं. 5	'समुद्रतट का प्रबंधन' विषय के संबंध में दिनांक 15.12.2015 का ता.प्र.सं. 224 (डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	27.07.2022
6.	क्र. सं. 10	'वन आधारित परियोजनाएं' विषय के संबंध में दिनांक 21.06.2019 का अता.प्र.सं. 80	08.08.2022
7.	क्र. सं. 13	'प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग' विषय के संबंध में दिनांक 22.11.2019 का ता.प्र.सं. 82 (श्रीमती मेनका संजय गांधी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	27.07.2022
8.	क्र. सं. 14	'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' विषय के संबंध में दिनांक 22.11.2019 का अता.प्र.सं. 1042	27.07.2022

9.	क्र. सं. 15	'वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण' विषय के संबंध में दिनांक 29.11.2019 का अता.प्र.सं. 2060	27.07.2022
10.	क्र. सं. 16	'पर्यावरण संरक्षण' विषय के संबंध में दिनांक 06.12.2019 का ता.प्र.सं. 268 (श्री अनिल फिरोजिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	27.07.2022
11.	क्र. सं. 18	'मिथाइल आइसोसाइनेट पर प्रतिबंध' विषय के संबंध में दिनांक 07.02.2020 का अता.प्र.सं. 1109	08.08.2022
12.	क्र. सं. 19	'नदी तटों पर मृदा अपरदन' विषय के संबंध में दिनांक 06.03.2020 का अता.प्र.सं. 2660	27.07.2022
13.	क्र. सं. 20	'वृक्षारोपण' विषय के संबंध में दिनांक 13.03.2020 का अता.प्र.सं. 3222	27.07.2022
14.	क्र. सं. 21	'सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी' विषय के संबंध में दिनांक 20.03.2020 का ता.प्र.सं. 381	27.07.2022

नई दिल्ली;
20 दिसंबर ,2022
29 अग्रहायण, 1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट - एक

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से उद्धरण।

अध्याय–8

आश्वासन

परिभाषा

8.1 प्रश्न का उत्तर देते समय या चर्चा के दौरान यदि मंत्री सरकार की ओर से आगे कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को फिर से सूचित करने का वचन देता है तो उसे "आश्वासन" कहा जाता है। सामान्यतः जो कथन आश्वासन मान लिए जाते हैं उनकी एक मानक सूची अनुबंध–3 में दी गई है। यह मानक सूची लोक सभा और राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (सीजीए) द्वारा अनुमोदित है। चूंकि आश्वासनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना अपेक्षित होता है इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रश्नों के उत्तरों का प्रारूप तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन कथनों का प्रयोग केवल ऐसे अवसरों पर किया जाए जबकि इन कथनों द्वारा सदन के समक्ष स्पष्टतः कोई आश्वासन देने का इरादा हो।

आश्वासन को पूरा करने की समय–सीमा

8.2 दोनों सदनों में से किसी भी सदन में दिया गया आश्वासन, आश्वासन दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है। इस समय सीमा का पूरी तरह से पालन किया जाए।

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओ.ए.एम.एस.)

8.3 आश्वासनों को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने के लिए सदन की कार्यवाहियों से आश्वासनों को छांटने से लेकर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक तथा समय सीमा बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक "ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम" (ओ.ए.एम.एस.) नामक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए स्वचालित बना दिया गया है। किसी अन्य ऑफलाइन तरीके से समय सीमा को बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने के लिए किए गए निवेदन या कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रस्तुति को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आश्वासनों को छांटना

8.4 जब कोई आश्वासन किसी मंत्री ने दिया हो अथवा पीठासीन अधिकारी ने सदन को कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए सरकार को निर्देश दिया हो तो संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित कार्यवाही से आश्वासनों को छांट लेता है और जिस तारीख को सदन के समक्ष वह आश्वासन दिया गया हो, उससे सामान्यतः 20 दिन के भीतर ओ.ए.एम. एस के जरिए संबंधित विभाग को ऑनलाइन सूचित कर देता है।

आश्वासनों की सूची से निकाल देना

8.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को ऐसे किसी वक्तव्य को आश्वासन मानने में आपत्ति हो या वह महसूस करे कि सार्वजनिक हित में आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा सकती हो, तो वह इस प्रकार के वक्तव्य को आश्वासन माने जाने के एक सप्ताह के भीतर ही इसको आश्वासनों की सूची से हटा देने का अपना निवेदन 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड कर सकता है। ऐसे निवेदनों को उनके मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और उक्त निवेदन वाले उनके पत्र में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा निवेदन 3 मास की निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के करीब किया जाता है तो, उक्त निवेदन में समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन भी अवश्य ही साथ में होना चाहिए। जब तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का कोई निर्णय ओ.ए.एम.एस. के माध्यम से उन्हें प्राप्त न हो जाए, तब तक विभाग को समय–सीमा बढ़वाने का निवेदन करते रहना चाहिए। ऑफलाइन तरीके से प्राप्त निवेदनों पर राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय या संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

आश्वासनों को पूरा करने की समय–सीमा बढ़ाना

8.6 यदि विभाग यह अनुभव करे कि आश्वासन तीन महीने की निर्धारित अवधि अथवा पहले ही बढ़ाई जा चुकी अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो वह समय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होते ही समय बढ़वाने के लिए लिए निवेदन करेगा जिसमें देरी के कारण, संभावित अतिरिक्त समय तथा इस मामले में की गई कार्रवाई तथा प्रगति का उल्लेख किया जाएगा। इस आशय के सभी निवेदन संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेकर सीजीए के निर्णय के लिए 'ओ.ए.एम.एस' पर किए जाने चाहिए।

आश्वासनों का रजिस्टर

8.7.1 प्रत्येक आश्वासन के ब्यौरे, संबंधित मंत्रालय/विभाग के संसद एकक द्वारा अनुबंध–4 में दिए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और इसके पश्चात् आश्वासन संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाएगा

8.7.2 इस प्रकार के आश्वासनों को पूरा करने की कार्रवाई प्रत्येक अनुभाग द्वारा शीघ्रता से यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्रालय से 'ओ. ए.एम.एस' द्वारा पत्रादि प्राप्त होने से पूर्व ही कर ली जानी चाहिए और आश्वासनों की पूर्ति पर अनुबंध–5 में दिए गए रजिस्टर के माध्यम से निगरानी रखी जानी चाहिए।

8.7.3 लोक सभा और राज्य सभा के आश्वासनों के लिए पैरा 8.7.1 तथा पैरा 8.7.2 में उल्लेख किए गए अनुसार अलग–अलग रजिस्टर बनाए जाएंगें और उनमें सत्रवार प्रविष्टियां की जाएंगी।

अनुभाग अधिकारी और शाखा अधिकारी की भूमिका

संबंधित अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारीः–

(क) रजिस्टरों की सप्ताह में एक बार छानबीन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए;

(ग) यदि संबंधित सदन का सत्र चल रहा हो, तो पखवाड़े में एक बार अन्यथा महीने में एक बार इन रजिस्टरों को शाखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसका ध्यान ऐसे आश्वासनों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करेगा जिनके तीन महीने के भीतर पूरे होने की संभावना नहीं है; और

(घ) लंबित आश्वासनों की समय–समय पर उच्चतम स्तर पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि आश्वासनों का जल्द से जल्द कार्यान्वयन किया जा सके।

8.8 इसी प्रकार शाखा अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों और मंत्री को आश्वासनों के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति के बारे में लगातार अवगत कराएगा और विलंब के कारणों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करेगा ।

आश्वासन को पूरा करने की प्रक्रिया

8.9.1 आश्वासन को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यदि सूचना का केवल कुछ अंश ही उपलब्ध हो और शेष सूचना को एकत्र करने में काफी समय लग सकता हो, तो एक कार्यान्वयन रिपोर्ट (आई आर) निर्धारित समय के भीतर आश्वासन के आंशिक कार्यान्वयन के तौर पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर अपलोड कर दी जानी चाहिए। लेकिन आश्वासन को शीघ्र पूरा करने के लिए शेष सूचना को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए।

8.9.2 किसी आश्वासन को पूरा करने के संबंध में भेजी जाने वाली आंशिक या पूर्ण सूचना के अनुबंध–6 में उल्लिखित निर्धारित फार्म में हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए गए पाठ और अनुलग्नकों को संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ही 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड करवाया जाना चाहिए। आश्वासन को यथास्थिति आंशिक या पूर्णरूप से पूरा करने संबंधी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उसके अंग्रेजी और हिन्दी पाठ में से प्रत्येक की 4–4 हार्ड प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए, जिनमें से एक हिन्दी प्रति और एक अंग्रेजी प्रति संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होनी चाहिए। संबंधित सदन द्वारा ई–रिपोर्ट स्वीकार किए जाने तक इन प्रतियों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

8.9.3 कार्यान्वयन रिपोर्ट को केवल 'ओ.ए.एम.एस' पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी अन्य तरीके से भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट अथवा राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को सीधे भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना

8.10 कार्यान्वयन रिपोर्ट की छानबीन करने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्रालय उसे संबंधित सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था करेगा। यह मंत्रालय सदन के पटल पर रखी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सदस्य (सदस्यों)को भेजेगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा दी कार्यान्वयन रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने का ब्यौरा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग का संसद एकक तथा संबंधित अनुभाग 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध विवरण के आधार पर अपने–अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

सदन के पटल पर किसी विषय से संबंधित दस्तावेज रखने का दायित्व बनाम उसी विषय पर दिया गया आश्वासन

8.11 जिन मामलों में दस्तावेज (नियम/आदेश/अधिसूचना आदि) सदन के पटल पर रखा जाना बाध्यकारी हो और जिसके लिए आश्वासन भी दे दिया गया हो, तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए पहले दस्तावेज को सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसका दिए गए आश्वासन से कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद आश्वासन को पूरा किए जाने के संबंध में एक औपचारिक रिपोर्ट, सभा पटल पर दस्तावेज रखे जाने की तारीख का उल्लेख करते हुए, 'ओ.ए.एम.एस' पर (अनुबंध–6 में) निर्धारित फार्म में पैरा 8.9.2 में पहले ही बताए अनुसार अपलोड कर दी जाएगी।

सरकारी आश्वासनों पर समितियां

राज्य सभा नियम 211(क)

लोक सभा नियम 323, 324 और

8.12 संसद के प्रत्येक सदन में सरकारी आश्वासनों की एक समिति होती है जिसे सभापति/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। यह समिति कार्यान्वयन रिपोर्टों और सरकारी आश्वासनों की पूर्ति में लगे समय की छानबीन करती है और उनके संबंध में हुई देरी के कारणों और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर, यदि कोई हो, ध्यान आकर्षित करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर जारी किए गए अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए ।

सरकारी आश्वासनों पर समितियों की रिपोर्ट

8.13 मंत्रालय/विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करके जहां कहीं आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इन दोनों समितियों की रिपोर्टों की छानबीन करेंगे ।

लोक सभा भंग होने का आश्वासनों पर प्रभाव

8.14 लोक सभा भंग होने पर कार्यान्वयन के लिए लंबित आश्वासन रद्द नहीं होते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी एक नई समिति सभी आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं या वचनों की छानबीन करके उनमें से ऐसे आश्वासनों का चयन करती है जो अत्यधिक लोक महत्व के होते हैं। उसके बाद समिति लोक सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसमें समिति द्वारा उन आश्वासनों के संबंध में विशेष रूप से सिफारिश की जाती है जिन्हें सरकार द्वारा छोड़ा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है।

परिशिष्ट - दी

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1175.
08.08.2011 को उत्तर के लिए

'नदी क्षेत्र नियंत्रण अधिनियम'

1175. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री आनंद राव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदी क्षेत्र नियंत्रण अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने उनके मंत्रालय को प्रारूप नीति प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती जयंती नटराजन)

(क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नदी विनियमन क्षेत्र के माध्यम से नदी तटाग्रों के प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है । इस विशेषज्ञ समूह में नदी पारिस्थितिकीय जल-विज्ञान, जल प्रदूषण और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ शामिल हैं ।

(ग) सरकार को किसी भी संगठन द्वारा नदी विनियामक क्षेत्र हेतु प्रारूप नीति का सुझाव नहीं दिया गया है । तथापि, एक गैर-सरकारी संगठन नामत: यमुना जिये अभियान ने नदियों से आने वाले बाढ़ से प्रभावित मैदानों के संरक्षण हेतु कुछ सुझाव दिए हैं ।

(घ) और (ड.) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

*****

परिशिष्ट - तीन

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 7245
21.05.2012 को उत्तर के लिए

नदी विनियमन क्षेत्र

7245. **श्री धर्मेंद्र यादव :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में नदी तल को हानिकारक निर्माण से बचाने के लिए नदी विनियमन क्षेत्र को अधिसूचित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती जयंती नटराजन)

(क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नदी विनियमन क्षेत्र के माध्यम से नदी तटाग्रों के प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है । इस विशेषज्ञ समूह में नदी पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, जल प्रदूषण और विधिक मामलों के विशेषज्ञ शामिल हैं ।

***

परिशिष्ट - चार

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3688
17.12.2012 को उत्तर के लिए

नदी विनियामक क्षेत्र

3688. **श्री चंद्रकांत खैरे :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नदी तट को बचाने के लिए तटीय विनियामक क्षेत्र की तर्ज पर नदी विनियामक क्षेत्र बनाने हेतु कोई कानून बनाने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भूमाफियाओं द्वारा नोएडा और उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी के नदी तट को फार्म हाऊस/कृषि भूमि के रूप में बेच दिया गया था और वहां अवैध रूप से फार्म हाऊस विकसित किए गए थे;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा दोषी लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती जयंती नटराजन)

(क)और(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है जो नदी विनियामक क्षेत्र के माध्यम से नदी तटाग्रों के प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश बनायेगा ।

(ग)से(ड.) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार यमुना नदी के बाढ़ मैदान में कुछ निजी भू-स्वामियों ने अपनी निजी भूमि पर कुछ अस्थायी हटमेन्टस बनाए हैं । यह भी सूचित किया गया है कि नदी बाढ़ मैदानों में निर्माण न करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचनाएं/नोटिस जारी करती है ।

****

परिशिष्ट - पाँच

भारत सरकार

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 415
01.12.2015 को उत्तर के लिए

शिकार का विनियमन

415. श्रीमती आर. वनरोजा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवों के शिकार संबंधी नए विनियमों को अधिसूचित करने तथा लुप्त न होने वाली वनस्पतियों और जीव जंतुओं का व्यापार जिसे संरक्षणवादी हत्या का लाइसेंस कहते हैं, की अनुमति देने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नई वन्य जीव संरक्षण नीति बनाई है जिसमें समय के साथ और आवश्यकता के अनुसार वन्य जीवों की सुरक्षा तथा देश के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचलनों संबंधी नियमों को शामिल किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा नए कानून/नियम बनाते समय संरक्षण की वर्तमान चुनौतियों से सामंजस्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क),(ख) और (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डनों तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों और सुझावों हेतु प्रारूप वन्यजीव नीति परिचालित की है। प्रारूप नीति में उल्लिखित महत्वपूर्ण नीति सुझावों में शामिल हैं:

(i) हर जगह संकटापन्न प्रजातियों की सूपंर्ण सुरक्षा करना। तदनुसार संकटों और अनुसूचियों को पुन: परिभाषित करना;

(ii) वैज्ञानिक ज्ञान आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर संरक्षण का कार्यान्वयन किया जाना;

(iii) अनुसूचियों से जुड़े प्रजाति विशिष्ट विनियमों के अध्यधीन, संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर वनों से वन जैवविविधता के सतत उपयोग और व्यापार का विनियमन करना।

(iv) परंपरागत पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए जीवन रूपों के प्रबंधन हेतु शिकार को पुन: परिभाषित करना;

(v) विदेशज और देशज जैवविविधता के देशीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन करना।

तथापि, मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई अंतिम नीति निर्णय नहीं लिया गया है।

****

परिशिष्ट - छह

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *224
15.12.2015 को उत्तर के लिए

समुद्रतट का प्रबंधन

*224. श्री संजय धोत्रे:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान समुद्रतट प्रबंधन संबंधी नीति में समुद्रतट पर रहने वाले समुदायों की सुरक्षा, समुद्रतटीय विस्तार का संरक्षण और परिरक्षण तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों में सतत् विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न पक्षों से प्राप्त अनेक सुझावों/अभ्यावेदनों के मद्देनजर इस नीति की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के समुद्रतटीय क्षेत्रों में संकट रेखा का सीमांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पूरे देश में संकट रेखा का सीमांकन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में समुद्रतट के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ङ.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

******

'समुद्रतट के प्रबंधन' के संबंध में श्री संजय धोत्रे और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2015 को उत्तर दिए जाने के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *224 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 और द्वीप संरक्षण क्षेत्र (आईपीजेड) अधिसूचना, 2011 में यथा निर्धारित तटीय प्रबंधन संबंधी विद्यमान नीति में तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तटीय भागों और उनके समुद्री क्षेत्र का संरक्षण एवं सुरक्षा करने तथा तटीय क्षेत्रों में और समुद्र का स्तर बढ़ने की स्थिति में आने वाले प्राकृतिक खतरों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इन अधिसूचनाओं में, तटीय विनियमन क्षेत्रों और तटीय भागों में द्वीप संरक्षण क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है और इनमें उपर्युक्त क्षेत्रों में कोई उद्योग लगाने तथा उसका विस्तार करने और खतरनाक पदार्थों के प्रयोग या प्रसंस्करण और विनिर्माण या प्रहस्तन या भंडारण या निपटान को विनियमित तथा प्रतिबंधित किया गया है।

सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में स्थानीय नगर और देहात आयोजना मानदंडों के अनुसार, स्थानीय तटीय समुदायों के लिए आवासीय इकाइयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत की अनुमति सहित विशेष व्यवस्था का प्रावधान है। इस अधिसूचना में परम्परागत तटीय समुदायों की आवासीय इकाइयों के ऐसे पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए कार्योत्तर अनुमोदन देने का भी प्रावधान है जो वर्ष 1991 के पश्चात बिना किसी अनुमोदन के किए गए थे। मछुआरा समुदायों सहित परम्परागत तटीय समुदायों की आवासीय इकाइयों का निर्माण/पुनर्निर्माण, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मछुआरा समुदायों सहित परम्परागत तटीय समुदायों के परामर्श से बनाई गई व्यापक योजना के अनुसार, समुद्री तटाग्र पर उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) से 100 और 200 मीटर के बीच किए जाने की अनुमति है।

तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) विनियमन में स्थानीय समुदाओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था में नामोद्दिष्ट तटीय विनियम क्षेत्रों में घरों के निर्माण और मछली पकड़ने की अनुमति देने के लिए पंचायतों सहित स्थानीय शासन को प्राधिकार प्रत्यायोजित करना शामिल है। वृहद मुम्बई में, राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किए गए मछुआरा और अन्य स्थानीय समुदायों से संबंधित आवासीय इकाइयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए लागू नगर और देहात आयोजना विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार करके अनुमति दी जा सकती है। केरल में, वैकवाटर द्वीपों में भूमि की ओर वाले हिस्से पर उच्च ज्वार रेखा

(एचटीएल) से 50 मीटर की दूरी से आगे स्थानीय समुदायों की आवासीय इकाइयों का निर्माण ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। गोवा के तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में, सरकार उन मछुआरा ग्रामों को अधिसूचित कर सकती है जिनमें परम्परागत मछली प्रसंस्करण यार्ड, नाव निर्माण या मरम्मत यार्ड, जाल मरम्मत यार्ड, बर्फ संयंत्र, बर्फ भंडारण, नीलामी हॉल, छोटी नावों की आवाजाही जैसे मछली पकड़ने या मछली पालन से जुड़े कार्यकलापों के लिए अपेक्षित सभी तटाग्र सुविधाओं के लिए सीआरजेड क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सीआरजेड में मछुआरा समुदाय सहित स्थानीय समुदायों को अवसंरचनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की अनुमति है।

द्वीप संरक्षण क्षेत्र (आईपीजेड) अधिसूचना, 2011 के अनुसार, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के एकीकृत द्वीप समूह संरक्षण क्षेत्रों का प्रबंधन, संबंधित संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा एकीकृत द्वीप समूह प्रबंधन योजना तथा एकीकृत तटीय विनियमन क्षेत्र योजना के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

(ख) सरकार ने कतिपय तटीय राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों की पृष्ठभूमि में सीआरजेड अधिसूचना, 2011 की समीक्षा की कार्यवाही आरंभ की है। एक विशेषज्ञ समिति ने इन मामलों की जांच की है और इस मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ग) और (घ) संकट रेखा का सीमांकन करना सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत अनिवार्य है। सरकार ने देश की मुख्य भूमि तटरेखा पर ज्वार भाटा, लहरों, समुद्री स्तर में वृद्धि और समुद्री तट रेखा में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से संकट रेखा का सीमांकन आरंभ कर दिया है। मुख्य भूमि तटरेखा की हवाई फोटोग्राफी और पश्चिमी तट की फोटोग्रामेटरी का काम पूरा हो गया है और शेष कार्य 31.12.2017 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(ङ.) इस मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से एक एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य तटीय प्रबंधन के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी, क्षमता निर्माण और संस्थागत विकास के जरिए इन राज्यों के चयनित तटीय भागों के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं बनाना है। इस परियोजना के चरण-I में गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने शेष तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए जुलाई, 2015 में इसके चरण-II का अनुमोदन किया है।

*****

(Q. 224)

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदया, पैरिस में जलवायु परिवर्तन पर अति महत्वपूर्ण सीओपी 21 परिषद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री जावड़ेकर ने हमारे देश का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।...(व्यवधान) उन्होंने वहां जो सुझाव और भूमिका रखी, उसके लिए देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में उनकी सराहना हो रही है। ...(व्यवधान) मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं।...(व्यवधान)

हमारे देश में शहर, गांव और सभी कारखानों का कूड़ा-कचरा और गंदा पानी नदियों में छोड़ा जाता है, कुछ जगह समुद्र में छोड़ा जाता है जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है।...(व्यवधान) मैरिन लाइफ पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। ...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है और क्या हासिल हुआ?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, लोकल कम्युनिटीज को संरक्षण देने के लिए पहले से जो नियम बने हुए हैं, उनके तहत हाउसिंग और रिपेयरिंग की परमिशन दी जाती है। ...(व्यवधान) मुम्बई में 1991 के बाद जिन्होंने घर बसाए, उन्हें भी रैगुलराइज़ किया गया है। फिशरमैन एचटीएल से कितनी दूरी पर मकान बना सकते हैं, इस बारे में लोकल रूल्स बनाए गए हैं। एक सौ और दो सौ मीटर के बीच भी घर रिपेयर करने की परमिशन दी गई है।...(व्यवधान) जहां तक सॉलिड वेस्ट का मुद्दा है, अगर कोई काम करना है तो सीआरजैड के एरिया में लोकल बॉडी में एनडोर्स करना है कि समुद्र में कचरा न जाए। ...(व्यवधान) उसके लिए कोई फैसिलिटी बनानी है तो सीआरजैड में करने के लिए भी हम परमिशन दे रहे हैं।

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदया, समुद्र तट का जलस्तर हर साल बढ़ता जा रहा है। वह तकरीबन दो मिलिमीटर से तीन मिलिमीटर तक हर साल बढ़ता है जिसके कारण समुद्र तट की क्षति, इरोजन होता है।...(व्यवधान) जब सुनामी जैसी आपत्ति आती है, उस समय वहां मैनग्रोव्ज़ ट्री के कारण उसकी रक्षा होती है। ...(व्यवधान) मैनग्रोव्ज़ का कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा है। मैनग्रोव्ज का कवर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी केन्द्र सरकार की एक रिपोर्ट आई जिसमें महाराष्ट्र में समुद्र तट में इस दशक में सबसे ज्यादा मैनग्रोव्ज कवरेज बढ़ा है।...(व्यवधान) लेकिन महाराष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि मैनग्रोव्ज का कवर कम हुआ है।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सी रिपोर्ट सही है और मैनग्रोव्ज बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, यह सही है कि मैनग्रोव्ज हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है। This is really a very important part of marine ecology. मैंने इस बारे में महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री और आला अधिकारियों के साथ दो बैठकें कीं। ...(व्यवधान) अब हम एक नया नियम ला रहे हैं जिसमें सौ हेक्टेयर का मैनग्रोव्ज किसी विकास के प्रोजैक्ट के कारण या किसी दूसरे काम में जाता है। जैसे मुंबई में कोस्टल रोड को करना जरूरी था, कोस्टल रोड को हमने परमिशन दी है ...(व्यवधान) लेकिन उसके साथ साथ हमने यह भी नियम बनाया है कि अगर इसके लिए 100 हेक्टेयर जाता है तो उसके लिए 300 हेक्टेयर का निर्माण करना पड़ेगा। मैनग्रोव को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया है। ...(व्यवधान) हमारा फैसला इसे तीन गुना करके का है। महाराष्ट्र का पूरा बॉडर 712 किलोमीटर है, हमने इसके लिए जगह मुकर्रर करने के लिए कहा है ...(व्यवधान) जो सफलता की रिपोर्ट है उसी को आप सही मानें। पिछले दो सालों में मैनग्रोवज बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी जगह पर जाइए, यह बहुत ही दुःख की बात है, आपका कोई भी अधिकार मारा नहीं जा रहा है। ...(व्यवधान) मैंने आपको शून्यकाल में समय देने के लिए कहा है। यह बात अच्छी नहीं है, ...(व्यवधान) आप जो भी प्रश्न उठाना चाहते हैं उसे मैंने डिसअलाऊ नहीं किया है। आप इतने सारे सदस्यों का अधिकार मार रहे हैं, रोज इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। यहां पर कोई तानाशाही नहीं कर रहा है, ...(व्यवधान) कोई किसी को शर्म करो जैसी बात भी नहीं है। हमने जीरो ऑवर में एलाऊ करने के लिए कहा है। हर व्यक्ति अपनी टर्म और कंडिशन पर बोलना शुरू करेगा तो सदन चलाना मुश्किल हो जाएगा। ...(व्यवधान) सदन नियम के अनुसार ही चलेगा। हमने आपको बोलने के लिए कहा है लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हैं, केवल सदन को बाधित करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को बाधित कर रहे हैं। ...(व्यवधान) भतृहरि महताब जी को प्रश्न पूछना है और आप उनके सामने खड़े रहकर हल्ला करेंगे तो यह उनके अधिकार का भी हनन है। कृपया आप अपनी जगह पर चले जाइए। मैं सभी को शून्य काल में बोलने का मौका दूंगी। ...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, I may be allowed to ask the question from this seat.

HON. SPEKER: You will have to.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : While looking at the Minister of Environment & Forests, one does not find that he is suffering from jetlag. He has acclimatized himself in Paris and has also acclimatized himself here in this House. Madam, the question is relating to risk to coastal communities and infrastructure.

According to the Inter-Governmental Panel on Climate Change, Asia will be one of most severely affected regions of the world as a result of global warming. The IPCC estimates that even by its most conservative scenario, sea level will be above 40 cm higher than today in 2100 as the sea level has been increasing at an average 3.1 mm per year. Such a rise in sea level will affect the coastal zones in multiple ways including inundation and displacement of wetlands and lowlands, coastal erosion, increased coastal storm/floods, alteration of tidal ranges, as well as changes in sediment and nutrients transport. India is not an exception to this scenario. Major States that are going to be affected are Gujarat, Odisha, and parts of Andhra Pradesh.

Has the Government taken this scenario into consideration during the formation of the existing policy on coastal management? If not, how would the Government protect the coastal areas from the risk of rise in sea level, especially in Odisha?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, आपने जो सवाल पूछा है वह महत्वपूर्ण है। सी, आईसी, जेड, एम यानि गुजरात, बंगाल और उड़ीसा का प्लॉन बन कर आया है और वह चल रहा है। ...(व्यवधान) हमने बाकी राज्यों को भी करने का निर्णय लिया है, ...(व्यवधान) लेकिन केवल केरल का ही कन्सेंट नोट आया है बाकी राज्यों ने डीपीआर नहीं भेजा है। सी-लेबल राइज होने पर सारी फिशरीज कम्युनिटी वलनरेबल होती है और जो किनारों पर रहते हैं। ...(व्यवधान) उनको बचाने के लिए ही सीआरजेड नीति में बड़ा परिवर्तन करने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। ...(व्यवधान) उसके बारे में हम घोषणा करेंगे। ...(व्यवधान) लेकिन आईसीजेडएमपी प्रोजैक्ट, जैसे मैंने कहा कि सभी राज्यों के लिए किया है। ...(व्यवधान) लेकिन केवल ओडिशा, गुजरात और बंगाल, इन तीन राज्यों की ही डीपीआर आयी, जहां काम चल रहा है। ...(व्यवधान) ओडिशा के बारे में स्पेसीफिक कोई और जानकारी चाहिए, तो उसे मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। ...(व्यवधान) लेकिन जब तक डीपीआर नहीं आयेगी, तब तक हम बाकी राज्यों का नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam Speaker, in the answer given by the hon. Minister, the steps taken for the coastal management are given. As stated by the Minister, lakhs and lakhs of fishermen are residing in coastal areas. India has a

very long coast line. The State of Kerala has a very long coast line having a length of 600 kms. The coastal area is also a sensitive zone. As regards security of coastal areas, law and order issues are also there. Then, it is also the question of the lives of lakhs of fishermen. In this connection, the Government of Kerala has requested for the construction of a Coastal Police Headquarters in the coastal area of Kerala. So, I would like to know whether the hon. Minister has received that proposal and whether the Government has taken any steps to give financial assistance for maintaining the coastal areas, especially in Kerala.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया ...(व्यवधान) हम राज्यों के लिए कोस्टल मैनेजमैंट जोन कर रहे हैं, लेकिन Kerala has sent only the Concept Note. Unless we receive the Detailed Project Report, it will not be possible to sanction money because there is a process.

As far as coastal security is concerned, Coast Guard, MHA and others are looking after it. It was the Coast Guard Chowkis which he was referring to. This was not allowed earlier for years together. But we have allowed all Coast Guard Chowkis so that the Coast Guard can take care of coastal security. At the same time, as regards Coastal Zonal Plans, as and when States send DPRs we will examine them. I think the Member can prevail upon the Government of Kerala to send the DPR early because that is important.

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष महोदया, कोस्टल मैनेजमैंट के ऊपर मंत्री महोदय ने जो तैयारी की है। ...(व्यवधान) अभी हाल ही में तमिलनाडु में बाढ़ का प्रकोप, विशेष तौर से चेन्नई शहर में देखने को मिला, वह हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से ...(व्यवधान) जब प्राकृतिक का प्रकोप झेलना पड़ता है, तो उसकी वजह से आम जन को कितनी जन-धन की हानि होती है। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं सर्वप्रथम मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पेरिस में क्लाइमेट चेंज पर भारत का पक्ष बहुत मजबूत तरीके से रखा। ...(व्यवधान) इसके लिए मंत्री जी और भारत सरकार बधाई के पात्र हैं। ...(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि तमिलनाडु में जो तबाही मची, उसे जिस तरीके से इन्होंने नियंत्रित किया और जनता का सहयोग किया, वह बहुत प्रशंसनीय है। ...(व्यवधान)

महोदया, कोस्टल एरियाज में भारी नुकसान होने का एक कारण यह है कि स्थानीय स्तर पर नदियां और छोटे-छोटे नालों का बहाव जो जमीन से लेकर समुद्र की तरफ आता है, उस पर अतिक्रमण होने की वजह से भी बहुत भारी नुकसान होता है। ...(व्यवधान) वह अतिक्रमण नियंत्रण करना स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारों के हाथ में होता है। ...(व्यवधान) कुछ ऐसे लोग जो अपने लाभ के लिए आम जन का नुकसान करते हैं और ऐसी त्रासदी, जो चेन्नई में देखने को मिली, उसके लिए अतिक्रमण एक बहुत बड़ा कारण है। ...(व्यवधान)

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकारों से समन्वय करके, बातचीत करके नदियों और नालों, जो समुद्र की ओर पानी ले जाते हैं, जिससे तबाही को रोका जा सके, उन अतिक्रमणों को उठाने और भविष्य में रोकने के लिए भारत सरकार की क्या योजना है?...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और इसका सीधा जवाब यही है कि नाले का नैचुरल फ्लो कहीं भी डिस्टर्ब होता है तो निश्चित रूप से बाधा पैदा होती है क्योंकि पानी जाता नहीं है, रुक जाता है। हमने वर्ष 2011 में सारे जल स्रोत हर गांव, हर कूचे में गिने थे तो सात लाख थे लेकिन अब कम रह गए हैं। यह सही है कि मिट्टी डालकर अतिक्रमण होता है। सारे जल स्रोतों और जल वाहनों की व्यवस्था वैसी ही बनी रहे, उल्टा इसे ज्यादा पुख्ता करना जरूरी है। रिवर रैगुलेटरी जोन में जहां नदी और खाड़ी का पानी मिलता है, वहां हम निश्चित रूप से व्यवस्था कर रहे है, नई पालिसी ला रहे हैं जिससे वहां प्रतिबंधित तरीके से, नियमित तरीके से विकास का कार्य हो और जल का संचय न हो। River Regulation Zone is under consideration which we will be declaring very soon.

श्री विनायक भाऊराव राऊत: माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि मछुआरे खास कर स्थानीय समुदाय, जो समुद्र तट पर बैठे हैं, उनके घर के पुनर्निर्माण या नया घर बनाने के लिए सीआरजेड में 100 और 200 मीटर का नियम बनाया है। उत्तर में यह भी कहा है कि केरल राज्य में 50 मीटर का रिलैक्सेशन है और गोवा में भी 50 मीटर के बाद सीआरजेड में रिलैक्सेशन मिलता है। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि कोंकण के मुम्बई, रायगढ़, थाणा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में समुद्र किनारे बैठे स्थानीय निवासियों और मछुआरों की बस्ती के पुनर्निर्माण के लिए केरल के आधार पर 50 मीटर का रिलैक्सेशन करेंगे?

सिंधुदुर्ग एक टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट है। यहां बहुत ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सिंधुदुर्ग टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट होने के नाते सीआरजेड में कुछ रिलैक्सेशन देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, पहले हमें तो यह समझना चाहिए कि गोवा और केरल की विशेष स्थिति है। Goa and Kerala are especially small States having unique land, water pattern. यह अजीब तरीके से है, एक तरफ सहयाद्री का वैस्टर्न घाट है और आगे समुद्र है। वहां वैसे ही फ़ीचर्स दिखते हैं। 50 मीटर का नियम गोवा और केरल के लिए बना है, वहां पहले जो बदली हुई स्थिति थी, उसके आधार पर ही बना है। इसे सब जगह करने की बात नहीं है। हमारे देश में 5500 किलोमीटर कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में इसे सब जगह नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम नई सीआरजेड पालिसी पर काम कर रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं कि कैसे दुनिया ने इस पर काम किया है, कहां अच्छा प्लान का डेवलपमेंट हुआ है और अतिक्रमण रोका गया है। अगर सी लैवल राइज़ भी होता है तो एवैक्युएशन कैसे होगा, इस पर विचार करके लोगों ने काम किया है। हमने लगभग 40-50 देशों का अध्ययन करके और अपने देश के पिछले 30 साल में सीआरजेड कानून के अनुभव पर विचार किया है। जब इसके बारे में निर्णय होगा, आपको बता दिया जाएगा।

मुम्बई के लिए दो विशेष प्रावधान किए हैं। पहला यह है कि वर्ष 1991 के बाद भी जिनका अतिक्रमण था, उसे रेग्यूलराइज किया गया है और फिशरमैन के लिए हम लोकल रूल्स लाए हैं और सौ, दो सौ मीटर के बीच है।...(व्यवधान) हर क्षेत्र की विषय स्थिति को देखकर ही नियम बनाए गए हैं। इस विषय में यदि आपके कोई सुझाव हैं तो जरूर भेजिए, उन पर विचार किया जाएगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मीनाक्षी लेखी। आप कृपया शार्ट में प्रश्न पूछिए।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : महोदया, मंत्री जी ने पूर्व प्रश्नों के उत्तर में बताया चाहे अतिक्रमण हो या प्रदूषण हो, जब एक नदी समुद्र में जाकर मिलती है तो वह कई राज्यों से हो कर जाती है। अतिक्रमण और प्रदूषण की अधिकतर समस्याएं राज्यों के कार्य क्षेत्र में आते हैं।...(व्यवधान) जब संबंधित राज्य अपने कार्य क्षेत्र में पूरी गंभीरता से काम नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार किन कानूनों के मुताबिक या किस प्रकार से उन राज्यों पर वे काम करवाने के लिए दबाव बना पाती है तथा क्या एन.जी.टी. या अन्य संस्थाओं का उपयोग किया जाता है? ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, निश्चित रूप से अगर किसी की शिकायत है और वे एन.जी.टी. जैसे ट्रिब्युनल में जाते हैं तो वहां उनकी सुनवाई होती है लेकिन केंद्र सरकार भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट-5

और कोस्टल रेग्युलेटरी रूल्स के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और डायरेक्शंस भी इश्यू कर सकते हैं।...(व्यवधान) राज्य सरकारों को बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं रोका जाता है तो क्या किया जाना चाहिए, इसमें मुश्किल आती है। इसके भी कड़े प्रावधान हैं लेकिन वहां तक जाने के पहले हम संवाद की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और रीवर रेग्युलेटरी जोन इसी के लिए है और ये नियम सभी को बताया है और इन नियमों के इनफोर्समेंट के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) जब भी इस संबंध में कोई शिकायत आती है तो विशेष जांच भी कराते हैं।

परिशिष्ट-सात

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1587
25.07.2017 को उत्तर के लिए

वन नीति का कार्यान्वयन

1587 श्री लल्लू सिंह:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में वन नीति के कार्यान्वयन हेतु सिफारिश की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के अंतर्गत प्रति एकड़ कितनी भूमि को वन भूमि के रूप में शामिल किए जाने हेतु सिफारिश की गई है;

(ग) क्या उक्त नीति को कार्यान्वित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है; और

(ड.) उक्त नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (ड.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन नीति के क्रियान्वयन के संबंध में ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में अवगत नहीं है। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल को भारतीय वन नीति का प्रारूप दस्तावेज तैयार करने को कहा गया था। आईआईएफएम ने प्रारूप नीति दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नयी राष्ट्रीय वन नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

******

परिशिष्ट - आठ

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 847
14.12.2018 को उत्तर के लिए

पश्चिमी घाटों का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र

847. एडवोकेट जोएस जार्ज :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के संबंध में प्रारूप अधिसूचना को पुनः प्रकाशित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को पश्चिमी घाट से जुड़े सभी राज्यों से इस संबंध में विचार/टिप्पणियां/रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इसके लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने अंतिम अधिसूचना जारी करते समय ईएसए वन क्षेत्र तक सीमित रखने के लिए केरल राज्य के विचार सम्मिलित करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने के लिए का.आ. 5135 (अ), दिनांक 03.10.2018 के द्वारा प्रारूप अधिसूचना को पुन:प्रकाशित किया है। प्रारूप अधिसूचना के पुन:प्रकाशन के बाद इस मंत्रालय ने गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा की राज्य सरकारों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किए थे।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञ समिति के परामर्श से जनता/हितधारकों और केरल राज्य सहित संबंधित राज्य सरकारों के विचारों पर विधिवत विचार करते हुए इस अधिसूचना को अंतिम रूप देने का इच्छुक है।

****

परिशिष्ट - II

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1051
08.02.2019 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

1051. एडवोकेट जोएस जॉर्ज :
श्री सी. महेन्द्रन :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की अंतिम अधिसूचना जारी करने में कोई प्रगति कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की ईएसए के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में आपत्तियां उठाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सिलसिले में राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया पूरी हो गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का ईएसए की घोषणा के संबंध में कोई प्रतिबद्धता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) से (ड.) पश्चिमी घाट की अद्वितीय जैव विविधता को सुरक्षित रखने तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए उपायों की सिफारिश हेतु पश्चिमी घाट विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) का गठन किया था जिसका अनुसरण उच्च स्तरीय कार्यदल (एचएलडब्ल्यूजी) द्वारा किया जाना था।

पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदी क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यदल की सिफारिश के आधार पर सरकार ने 10.02.2014 को का.आ. 733(ई) के द्वारा प्रथम प्रारूप अधिसूचना जारी की थी। बाद में, अधिसूचना प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्रारूप अधिसूचना को दिनांक 04.09.2015 को का.आ. 2435(ई) तथा 27.02.2017 को का.आ. 667(ई) के माध्यम से पुन: प्रकाशित किया गया था तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र के सभी राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर 15 जनवरी, 2016, 9-11 फरवरी, 2016, 11 अगस्त, 2016 तथा 11 अप्रैल, 2018 को अनेक बैठकें आयोजित की गई थीं। जैसा कि उच्च स्तरीय कार्यदल की मूल सिफारिशों से राज्य सरकारों को उनके राज्यों से ईएसए को बदलने/कम करने के प्रस्ताव के भौतिक सत्यापन के आधार पर अधिसूचना के प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथा का.आ. सं. 5135(ई) के माध्यम से दिनांक 3.10.2018 को प्रारूप अधिसूचना को पुन: प्रकाशित किया गया।

पश्चिमी घाटों की ईएसए अधिसूचना को सुसंगत तथा अनुकूल बनाने के लिए दिनांक 03.10.2018 को अद्यतन प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित करने के पश्चात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा राज्य सरकारों से उनका मत/टिप्पणियां मांगी हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पश्चिमी घाट क्षेत्र के सभी राज्यों के परामर्श से ईएसए अधिसूचना को अंतिम रूप देना चाहता है।

*****

परिशिष्ट - दस

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1122
08.02.2019 को उत्तर के लिए

पश्चिमी घाटों का संरक्षण

1122. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित कस्तुरीरंगन पैनल रिपोर्ट की अंतिम अधिसूचना पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अंतिम अधिसूचना के कब तक जारी होने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) से (ग) पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकी रूप से संवेदी क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यदल (एचएलडब्ल्यूजी) की सिफारिश के आधार पर सरकार ने दिनांक 10.02.2014 को का.आ.733(अ) के द्वारा प्रथम प्रारूप अधिसूचना जारी की थी। चूंकि अधिसूचना की वैधता 545 दिन है, इसलिए अधिसूचना प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रारूप अधिसूचना को तीन बार अर्थात् दिनांक 04.09.2015 को का.आ.2435(अ), दिनांक 27.02.2017 को का.आ.667(अ) और दिनांक 03.10.2018 को का.आ.5135(अ) के द्वारा प्रकाशित किया।

दिनांक 03.10.2018 को अद्यतन अधिसूचना प्रकाशित करने के पश्चात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा राज्य सरकारों से उनका मत/टिप्पणियां मांगी हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पश्चिमी घाट क्षेत्र के सभी राज्यों के परामर्श से ईएसए अधिसूचना को अंतिम रूप देना चाहता है।

****

परिशिष्ट - ग्यारह

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 80
21.06.2019 को उत्तर के लिए
वन आधारित परियोजनाएं

80. श्री कनकमल कटाराः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई वन-आधारित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा राजस्थान में उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो लम्बे समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वन-आधारित परियोजनाओं हेतु कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त लंबित परियोजना/प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने तथा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख) : जी, नहीं। राजस्थान की परियोजनाओं सहित, उन सभी वन-आधारित परियोजनाओं पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार इस मंत्रालय में उचित रूप से निर्णय लिया गया है, जो राज्य सरकार से हर तरह से पूर्ण प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के तहत वन भूमि के अपवर्तन के लिए चार परियोजना प्रस्तावों पर, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (एसआईआर) न होने के कारण निर्धारित समय में निर्णय नहीं लिया गया है।

इस मंत्रालय में लंबित इन चार परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (एसआईआर) शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

****

अनुबंध

'वन आधारित परियोजनाएं' के संबंध में दिनांक 21.06.2019 को उत्तर के लिए श्री कनकमल कटारा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य-वार लंबित प्रस्तावों के ब्यौरे							
क्रम सं.	राज्य	फाइल सं.	प्रस्ताव का नाम	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	श्रेणी	(चरण-I/चरण (II) के लिए लंबित	अभियुक्ति
1	झारखंड	8-61/2018-एफसी	पुर्णाडीह ओसीपी	323.49	खनन	चरण-I के लिए लंबित	मंत्रालय के दिनांक 14.09.2018 के पत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी तथा दिनांक 08.01.2019 को अनुस्मारक पत्र भेजा गया था किन्तु रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।
2	झारखंड	8-62/2018-एफसी	के.डी हेसालोंग ओपनकास्ट परियोजना	126.72	खनन	चरण-I के लिए लंबित	मंत्रालय के दिनांक 04.10.2018 के पत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी तथा दिनांक 08.01.2019 को अनुस्मारक भेजा गया था किन्तु रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।
3	मध्य प्रदेश	8-77/2018-एफसी	सागर चिड़ियाघर और बचाव केंद्र सागर	100	अन्य	चरण-I के लिए लंबित	मंत्रालय के दिनांक 13.12.2018 के पत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से मांगी गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
4	तेलंगाना	8-06/2019-एफसी	श्रीरामपुर सीपेनकास्ट-II, विस्तार परियोजना, मंचेरियल जिला - 162.45 हेक्टेयर	162.45	खनन	चरण-I के लिए लंबित	मंत्रालय के दिनांक 18.03.2019 के पत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्ने से मांगी गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट - बारह

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *296
12.07.2019 को उत्तर के लिए

जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन

*296. श्री रेवती त्रीपुरा:
श्री संतोष कुमार:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्यमान जैव विविधता अधिनियम, 2002 का संशोधन करने का विचार है ताकि निकट भविष्य में विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए इसे और अधिक जनहितैषी और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) उपरोक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों हेतु समयावधि क्या है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

'जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन' के संबंध में श्री रेवती त्रीपुरा और श्री संतोष कुमार द्वारा शुक्रवार दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *296 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) जैव-विविधता कन्वेंशन, जिसमें भारत एक पक्षकार देश है, के अनुसरण में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया गया जिसका उद्देश्य जैव-विविधता का संरक्षण, उसके घटकों का वहनीय उपयोग, और इनमें संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों की निष्पक्ष तथा समान साझेदारी करना है, जिसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) भी कहा जाता है। यह अधिनियम

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे भारत में लागू है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में राज्य सरकारों के लिए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम बनाने का प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम को तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य स्तर पर राज्य जैव-विविधता बोर्ड और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत, जैव-विविधता नियम 2004 में अधिसूचित किये गए थे और एनबीए द्वारा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग संबंधी दिशानिर्देश 2014 मे अधिसूचित किए गए थे। अब तक प्राप्त अनुभव और हितधारकों के परामर्श के आधार पर एनबीए एबीए दिशानिर्देशों में पुन: संशोधन कर रहा है। इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किए गए एबीएस दिशानिर्देशों का प्रारूप जनसाधारण की टिप्पणियों के लिए दिनांक 24.4.2019 को एनबीए की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। उठाए जाने वाले अगले कदमों में प्राप्त की गई टिप्पणियों की जांच, हितधारकों के साथ परामर्श और अपेक्षित अनुमोदन शामिल हैं। एबीएस से संबंधित दिशानिर्देश एक वर्ष के भीतर अधिसूचित होने की संभावना है।

****

परिशिष्ट – 7 तरह

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4538
19.07.2019 को उत्तर के लिए

ईआईए अधिसूचना में संशोधन

4538. श्री टी. एन. प्रथापन :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और अन्य हितधारकों द्वारा पर्यावरण प्रभाव संबंधी मूल्यांकन (ईआईए) के संशोधन संबंधी मसौदा अधिसूचना का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय का उक्त प्रावधानों में संशोधन लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम-3 के अंतर्गत अनिवार्य आवश्यकताओं को समाप्त करके पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधनों को शिथिल करते हुए अधिसूचनाएं जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) जी नहीं। मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ संशोधनों को शामिल करना तथा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सहित इसमें विकेन्द्रीकरण, युक्तिकरण, प्रावधानों में स्पष्टता, ऑनलाइन प्रणाली में अनुकूलता, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी), ईआईए अधिसूचना, 2006 के कार्यान्वयन के दौरान उठाए गए मामलों का समावेशन, न्यायालयों/अधिकरणों के निर्देशों का कार्यान्वयन इत्यादि शामिल हैं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2019 के शून्य मसौदे को सभी राज्य सरकारों, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों, राज्य सतर के विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के मध्य परिचालित कर अन्य हितधारकों से उनकी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझावों को आमंत्रित किया गया है।

(ग) और (घ) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम-4 में यह उपबंध है कि उप नियम (3) में निहित होने के बावजूद यदि कभी भी केन्द्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना जनहित में है, उप-नियम (3) के खण्ड (अ) या उक्त नियम के नियम 5 के तहत नोटिस से छूट दे सकती है। इन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जब कभी भी यह प्रतीत हो कि संशोधन जनहित में है, समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

*****

परिशिष्ट - ९
चर्चा

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*82
22.11.2019 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग

*82. श्रीमती मेनका संजय गांधीः
श्री एस॰ मुनिस्वामीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्पन्न हो रहे और रिसाइकल किये जा रहे प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा पृथक-पृथक कितनी है;
(ख) क्या सरकार के पास प्लास्टिक को रिसाइकल करने तथा उसका इस्तेमाल राजमार्ग बनाने और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों/परियोजनाओं में किये जाने के लिए कोई नई स्कीम कार्यान्वित करने की योजना है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है/किये जाने का विचार है; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसे प्लास्टिक जिसका उपचार नहीं हो पाता है, की मात्रा को कम करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

''प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग'' के संबंध में श्रीमती मेनका संजय गांधी और श्री एस॰ मुनिस्वामी द्वारा दिनांक 22.11.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *82 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) सतत आर्थिक विकास के साथ उपभोक्ता सामग्री के लिए मांग बढ़ रही है। इस वृद्धि के लिए उत्प्रेरक विभिन्न घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक, फास्ट मूविंग कनज्युमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र द्वारा पलास्टिकों का बढ़ रहा उपयोग है। इसके टिकाऊपन, मजबूती, अक्रियाशील प्रवृत्ति और कम लागत के कारण उद्योगों के लिए पलास्टिक अत्यधिक भरोसेमंद पैकेजिंग सामग्री के रूप में उभरा है। प्लास्टिक मांग में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप पलास्टिक अप्रत्यक्ष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों में परिणत हुई है।

प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्कृष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने पहले ही देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु पहल शुरू कर दी है। सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन और देश में प्लास्टिक प्रदूषण के निवारण हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अंतर्गत, अपशिष्ट के उत्सर्जकों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्सर्जन को न्यूनतम करना, प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखेरना, स्रोत पर ही अपशिष्ट का पृथक्कृत भण्डारण सुनिश्चित

करना और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकायों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों अथवा पंजीकृत अपशिष्ट चुनने वाले अथवा पंजीकृत पुनचर्क्रणकर्ताओं को सौंपना अधिदेशित किया गया है। प्लास्टिक के उचित विनियमन और अनुकूलन पुनचर्क्रण हेतु सभी प्लास्टिक पुनचर्क्रणकर्ताओं का संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के पास पंजीकरण करने हेतु प्रावधान बनाए गए हैं। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनचर्क्रण और निपटान सहित एकत्रण, पृथक्करण और प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना स्थापित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। स्थानीय निकायों को सभी हितधारकों के बीच उनके संबंधित उत्तरदायित्वों के विषय में जागरूकता सृजित करने के लिए भी अधिदेशित किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा भारत के 60 प्रमुख शहरों में कराए गए अध्ययन के अनुसार, यह अनुमानित किया गया है कि इन शहरों से लगभग 4059 टन/दिन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जित होता है। 60 प्रमुख शहरों से समूचे देश को इस प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन आंकड़ों को बर्हिवेषित करते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 25,940टन/दिन प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित होता है। देश में 4773 पंजीकृत प्लास्टिक विनिर्माण/कम्पोस्टेबल विनिर्माण/बहु-स्तरीय प्लास्टिक विनिर्माण/पुनर्चक्रण इकाइयां हैं। लगभग 15,384 टन/दिन जो कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का 60 प्रतिशत है, एकत्रित और पुनचर्क्रित किया जाता है। यह पुनचर्क्रित प्लास्टिक विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग होता है। अपशिष्ट का शेष 10556 टन/दिन प्लास्टिक जो प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन का लगभग 40 प्रतिशत अनुमानित है, एकत्रित नहीं हो पाता और पर्यावरण में बिखरा हुआ रहता है।

(ख) और (ग) सरकार के पास प्लास्टिक के पुनचर्क्रण हेतु कोई नई स्कीम अथवा निधि आबंटन नहीं है। तथापि, बिखरे हुए प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग के लिए नियम 2016, स्थानीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट (विशेष रूप से वह प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसे आगे और पुनचर्क्रित नहीं किया जा सकता है) को भारतीय सड़क कांग्रेस दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण, सीमेंट भट्टों में प्लास्टिक अपशिष्ट के सहप्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट के तरल आरडीएफ (तेल) में परिवर्तन और प्लाज्मा पाइरोलिसस प्रौद्योगिकी (पीपीटी) के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये नियम निर्धारित करते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनचर्क्रण भारतीय मानक: आईएस 14534:1998 के अनुरूप होगा।

(घ) जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घोषणा की है, मंत्रालय प्लास्टिक प्रदूषण का सामना करने के लिए 6 आर (उपयोग में कमी लाना, पुन:प्रयोग, पुनर्चक्रण, बहाली, पुन:अभिकल्पना और पुनर्निर्माण) के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में और प्लास्टिक के पारिस्थितिकीय रूप से वहनीय और हरित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने तदनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों के लिए कार्रवाइयों के सुझाए गए विभिन्न समुच्चयों सहित ''सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में मानक दिशानिर्देश'' जारी किए हैं।

मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आ रहे कार्यालयों, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्र सरकार के कार्यालयों और इसके विभागों, प्रमुख पीएसयू, निगमों, संस्थानों आदि को उनके कार्यालयों से पानी की बोतले, टेक अवे कॉफी कप, डिस्पोसेबल प्लास्टिक की पैकिंग सामग्री में लपेटी हुई भोजन सामग्री, प्लास्टिक की थैलियां, खाने के डिस्पोजेबल डिब्बे, प्लेटें और पॉलीस्ट्रीन फोम से बनी हुई प्लेटें और कन्टेनर, प्लास्टिक स्ट्रा आदि सहित सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को प्रतिषिद्ध करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। ''सिंगल यूज प्लास्टिक'' के दुष्प्रभावों के विषय में विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहे पारि-क्लबों के माध्यम से स्कूलों में जागरूकता सृजन अभ्यास किया गया है।

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 से एक तीन-चरण का अभियान, ''स्वच्छता ही सेवा'' (एसएचएस) शुरू किया गया था, जो दिवाली, अर्थात् 27 अक्तूबर 2019 को समाप्त हुआ। यह अभियान अन्य बातों के साथ-साथ, जागरूकता, अनुसमर्थन, बिखरे हुए प्लास्टिक के एकत्रण और सुरक्षित निपटान पर केन्द्रित था।

इस अभियान के तहत, सभी हितधारकों, अर्थात् आम जनता, छात्रों, उद्योग, सरकारों और स्थानीय निकायों ने एकजूट होकर घरों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों, समुद्र तटों, मार्केटों, धार्मिक और पर्यटन स्थानों आदि से अपशिष्ट प्लास्टिक को एकत्रित किया। शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संगठनों और अन्यों ने एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनचर्क्रण हेतु नामोद्दिष्ट अवस्थानों पर निपटान हेतु व्यवस्थाएं की हैं। स्टार्ट-अप्स, तकनीकी निकाय और निगम एकत्रित अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की अपनी योजनाओं के साथ आगे अए हैं। इस अभियान का अंतिम लक्ष्य यह था कि प्लास्टिक अपशिष्ट का भूमि पर अथवा पानी में निपटान न किया जाए किंतु इसको पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से पुनर्चक्रित किया जाए। इस अभियान ने प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे के संबंध में जागरूकता सृजित करने के अपने लघु-अवधि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त अभियान के परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों और राज्यों ने ऐसे अपशिष्ट के एकत्रण और सुरक्षित निपटान हेतु प्रणालियां स्थापित की हैं।

****

(Q. 82)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI : Sir, as far as the question of plastics is concerned, I have a suggestion to make. On the question of whether we put them in highways, there are simply not enough highways for the amount of plastic that is being generated in a single day. I have another idea which other countries are using. That is that there is a Japanese company that has got a machine called 'Blest'. This is being used by the Nordic countries, now by Azerbaijan and others to re-turn plastics back into oil. If you put in a certain type of plastic which we use very frequently, it becomes oil again. This oil can be monetised and sold for generators or other low-grade purposes. If we monetise plastic and ask poor people to bring it in, you will then be able to get the plastic out of the rivers, out of ponds, out of villages and into a collection centre where it can be turned into oil again. There is no other way to deal with plastic at this point.

I would like to know if the Government would consider this.

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, आज प्लास्टिक के बारे में चार सवाल हैं और आपने उन सभी को इकट्ठा किया है, यह बहुत अच्छा है। देश में लगभग पच्चीस-तीस हजार टन कचरा प्लास्टिक रोज जमा होता है यानी रोज तैयार होता है, लेकिन उसका दो तिहाई ही कलैक्ट होता है और एक तिहाई नहीं होता है। यदि तीस हजार टन कचरा है तो बीस हजार टन ही इकट्ठा होता है और दस हजार टन इकट्ठा नहीं होता है और वह बिखर जाता है। वह सालों तक बिखरा रहता है। उससे नालियां चोक हो जाती हैं। उससे लिचेटिंग होता है, उसका प्रदूषण में परिणाम होता है। प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन गई है। वास्तव में भारत में प्लास्टिक की खपत प्रति व्यक्ति ग्यारह

किलो प्रति साल है, अमेरिका में 110 है। लेकिन कलैक्ट होना मुख्य मुद्दा है जो नहीं होता है। इसे कैसे कलैक्ट करें, मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ऑयल तैयार करने की अनेक फैक्ट्री हैं, तीन फैक्ट्रियों का उद्घाटान तो मैंने किया है। ये टेक्नोलॉजी है और चल भी रही है। आपने नए मैकेन्जिम के बारे में बताया है, सीपीसीबी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिल कर एक टीम बनाई है जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में प्रस्ताव आते हैं उनकी जांच करते हैं और एडवाइस देते हैं।

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI : I am going to pursue this because I was suggesting that if municipalities bought this machine and we copied it or made an Indian version of it, and we paid for it to be collected and brought to us, and then fed that plastic into the machine, you will be able to get rid of plastic very quickly. It has been tried in other countries. In fact, the Nordic countries are clean because they use this technology.

The point is this. Are we ever going to look at it? Maybe, we could send a team to Japan to see how they do it. There was a big exhibition now in Baku. I lot of Indian business people had also gone there to look at it. It has passed every trial. It would be important for India to consider a machine like that.

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा किसी भी माननीय सदस्य ने अगर सुझाव दिया और उसका हमने एक स्थान तय किया है। सीपीसीबी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस

एंड टेक्नोलॉजी उस तंत्र ज्ञान के बारे में जानकारी और परीक्षण लेकर उचित सलाह म्यूनिसिपल बॉडी को देते हैं। इस सुझाव का भी निश्चित रूप से परीक्षण होगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री एस. मुनिस्वामी - उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत सिंह - उपस्थित नहीं।

परिशिष्ट - पंद्रह

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1042

22.11.2019 को उत्तर के लिए

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

1042. श्री बी.एन. बचेगौडा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गम्भीर रूप से संकटापन्न ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) गम्भीर रूप से संकटापन्न ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर उनके विलुप्त होने का खतरा आसन्न है। पारंपरिक शिकार, उनके पर्यावास, घास भूमियों का गहन कृषि में परिवर्तन जैसे मिश्रित मानवीय कारकों और उनके पर्यावास के अंदर बिजली की लाईनों से टकराने/करंट लगने के कारण मौत होने तथा उनके प्रजनन स्थलों में कुत्तों और अन्य परभक्षियों द्वारा घोंसलों को नुकसान पहुंचाने/शिकार कर लेने जैसे उभरते खतरे के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या में कमी हुई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अनुमानित संख्या 130-150 है जिनमें अधिकांश लगभग 120 पक्षियां जयसलमेर, राजस्थान में पाई जाती हैं, गुजरात में 6 मादा पक्षियां हैं तथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुल मिलाकर 15-25 पक्षियां हैं।

(ग) सरकार द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नलिखित हैं:

i. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है और ऐसा करके उसे शिकार से बचाने के लिए सर्वाधिक कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।

ii. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के महत्वपूर्ण पर्यावासों को उनके बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के रूप में नामित किया गया है।

iii. इस प्रजाति को केन्द्र-प्रायोजित योजना (सीएसएम)-वन्यजीव पर्यावास का विकास के 'प्रजाति बहाली कार्यक्रम' घटक के तहत संरक्षण के प्रयासों के लिए अभिज्ञात किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके पर्यावास को बेहतर संरक्षण प्रदान करने हेतु वन्यजीव पर्यावास के विकास की केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

iv. मंत्रालय द्वारा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के वन विभागों के सहयोग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू. आई. ई), देहरादून के तकनीकी सहयोग से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण प्रजनन के संबंध में एक पहल की गई है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से पांच वर्षों की अवधि के लिए 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास में सुधार और उसका संरक्षण प्रजनन-एक समेकित दृष्टिकोण' शीर्षक के कार्यक्रम के लिए 33.85 करोड़ रू. के परिव्यय की मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्यानों या अभयारण्यों में जी. आई.बी की संख्या बढ़ाने और संख्या में वृद्धि के लिए चूजों को जंगल में छोड़ने के साथ-साथ इस प्रजाति के स्व-स्थाने संरक्षण को बढ़ावा देना है।

v. ऊपर उल्लिखित परियोजना के तहत, राज्य सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान और अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके, जिला कोटा, राजस्थान में संरक्षण प्रजनन केन्द्र की स्थापना हेतु एक स्थान को अभिज्ञात किया गया है। वर्तमान में बंदी पक्षियों (एक वर्ष तक की) के लिए साम, जयसलमेर, राजस्थान में इनक्यूबेटर, हैचर, चिक-रिअरिंग तथा हाउसिंग की सुविधा के साथ एक केन्द्र स्थापित किया गया है और उसका प्रबंधन भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों, राजस्थान वन विभाग द्वारा हाउबारा संरक्षण और रिनेको, अबू धाबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष से प्राप्त तकनीकी सहायता से किया जा रहा है। जिनके पास बंदी रखे गए हाउबारा तथा अरब देश के बस्टर्ड के प्रजनन के संबंध में व्यापक अनुभव है।

vi. मंत्रालय द्वारा विद्युत पारेषण लाइनों तथा अन्य विद्युत पारेषण अवसंरचनाओं के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने हेतु पारि-अनुकूल उपाय सुझाने के लिए एक कार्य-बल का भी गठन किया गया है।

vii. मंत्रालय द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे विद्युत पूर्ति एजेंसियों को बिजली की लाईनों पर पक्षियों को दूर भगाने का यंत्र लगाने, 33 केवी तक की बिजली लाइनों को भूमिगत करने, पवन संचालित टर्बाइनों के पास सूचकों को पेंट करने का निर्देश जारी करें।

****

परिशिष्ट – सोलह

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2060
29.11.2019 को उत्तर के लिए

वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण

2060. श्रीमती संध्या राय :
श्री जी. सेल्वम :
श्री के. नवासखनी :
श्री रेबती त्रिपुरा :
श्री सुव्रत पाठक :
श्री धनुष एम. कुमार :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बस्टर्ड संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान ''वन्यजीव पर्यावासों के समेकित विकास'' की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए दो महीने के भीतर समयबद्ध कार्य योजना बनाने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए वन विभाग को कोई सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित देश में संकटापन्न जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) मंत्रालय ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के सहयोग से और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से तकनीकी सहायता और राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के वित्तीय सहयोग से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के 'पर्यावास सुधार और संरक्षण प्रजनन एक एकीकृत दृष्टिकोण' नामक कार्यक्रम के लिए पांच वर्षों की समयावधि हेतु 33.85 करोड़ रु. के कुल बजट के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण प्रजनन की एक पहल की है। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बंधक संख्या को बढ़ाना और संख्या बढ़ाने के लिए चूजों को जंगल में छोड़ देना और स्वस्थाने प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, वर्तमान में उष्मायित्र, हैचरी, चूजा पालनऔर बंधक पक्षियों के लिए आवास (एक वर्ष की आयु तक) की सुविधा राजस्थान के साम, जैसलमेर में स्थापित की गई है और राजस्थान वन विभाग के कर्मचारियों और भारतीय वन्यजीव के वैज्ञानिकों और 'होउबरा संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि' और रेनिको, अबुधावी जिसे बंधक अवस्था में संबंधित होउबरा और अरबी बस्टर्डजो के प्रजनन का बड़ा अनुभव है द्वारा इसकी देखभाल की जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त कुछ सफलता निम्नानुसार हैं :

i. जंगल से जीआईबी के नौ अण्डों को एकत्रित करना और सुविधा केन्द्र में उन अण्डों को सेने की क्रिया।

ii. थार रेगिस्तान के प्रायरटी पर्यावास एचएसआई के सहयोग से डब्ल्यूआईआई द्वारा 800 से ज्यादा कुत्तों की (जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक बड़ा खतरा है) नसबंदी करना।

iii. परभक्षी प्रूफ बाड़ों का निर्माण और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाड़ों से ग्रेड इंडियन बस्टर्ड घोंसले/अण्डा का सक्रिय निष्कासन।

iv. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर्यावास में पड़ रहीं विद्युत लाइनों का मानचित्रण।

v. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उपग्रह के साथ जोड़ना और उनके रूपात्मक व्यवहार के अनुसंधान के लिए उनके कार्यकलापों की निगरानी करना।

(ख) सरकार द्वारा राजय/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वन्यजीव के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल हैं 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वन्यजीव और पर्यावरण मुकदमेबाजी (सीडब्ल्यूईएल) केन्द्र बनाम भारत का संघ और अन्य के मामले में ओ.ए. सं. 385/2019 में अपने आदेश दिनांक 04/09/2019 के द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जो निम्नलिखित अधिकारियों से युक्त है:

(i) वन महानिदेशक, एमओईएफ और सीसी - अध्यक्ष
(ii) अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव), एमओईएफ और सीसी - सदस्य सचिव
(iii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकित
(iv) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकित
(v) गुजरात और राजस्थान के ऊर्जा विभाग द्वारा नामांकित

समिति का अधिदेश एनजीटी के आदेश दिनांक 04/09/2019 में उल्लिखित डब्ल्यूआईआई की रिपोर्ट की सिफारिशों पर दो महीनों के भीतर समयबद्ध कार्य योजना बनाने का है ।

(घ) मंत्रालय ने "वन्यजीव पर्यावासों के विकास" की केंद्र प्रायोजित स्कीमों के 'प्रजातियों की पुन:बहाली कार्यक्रम' के तहत निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं :

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
महाराष्ट्र	110.63		135.85	87.81	0
राजस्थान	65.36	121.64	121.387	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0	82.58

(ड.) सरकार ने ग्रेड इंडियन बस्टर्ड सहित देश में संकटग्रस्त पशुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है ।

ii. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार, उन्हें शिकार से कानूनी सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त होता है ।

iii. बाजों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप पूरे देश में संरक्षित क्षेत्र, अर्थात, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का सृजन किया गया है।

iv. वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण और अनुरक्षण के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् "पर्यावासों के विकास", बाघ परियोजना' और हाथी परियोजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय, तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

v. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के महत्वपूर्ण आवासों को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है।

vi. प्रजातियों को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) - वन्यजीव पर्यावासों के विकास के घटक 'प्रजाति पुन:बहाली कार्यक्रम' के तहत संरक्षण के प्रयासों के लिए पहचाना गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसके निवास स्थान को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव पर्यावासों के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।

vii. राज्य सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श से उपरोक्त परियोजना के तहत कोटा जिले, राजस्थान में संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना के लिए एक स्थल की पहचान की गई है। वर्तमान में उष्मायित्र, हैचरी, चूजा पालन और बंधक पक्षियों के लिए आवास (एक वर्ष की आयु तक) की सुविधा होउबारा संरक्षण और रेनिको के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि, अबुधावी, जिनको अरबी बस्टर्डों के प्रजनन का काफी अनुभव है, की तकनीकी सहायता से साम, जैसलमेर, राजस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान, राजस्थान वन विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

viii. मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों पर बिजली पारेषण लाइनों और अन्य पॉवर ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपाय सुझाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है।

ix. मंत्रालय ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय से बिजली आपूर्ति एजेंसियों को बिजली लाइनों पर पक्षी डायवर्टर की स्थापना, 33 मीटर केवी तक बिजली लाइनों को भूमिगत करने, पवनचक्कियों के वेनों की पेंटिंग आदि जैसे उपशमक उपायों को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

*****

अनुबंध-I

'वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण' के संबंध में दिनांक 29.11.2019 को उत्तर के लिए श्रीमती संध्या राय, श्री जी. सेल्वम, श्री के. नवासखनी, श्री रेबती त्रिपुरा, श्री सुव्रत पाठक और श्री धनुष एम. कुमार द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2060 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना- वन्यजीव पर्यावासों के विकास' के तहत जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (27.11.2019 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	118.49	141.934	191.00	132.64
2	आंध्र प्रदेश	0	0	75.00	0
3	अरुणाचल प्रदेश	256.8107	269.9348	344.42	414.14
4	असम	0	275.827	265.32	164.26
5	विहार	100.576	322.674	749.00	141.37573
6	चंडीगढ़	26.06514	26.065	0	0
7	छत्तीसगढ़	278.9453	435.014	350.61	310.0318
8	गोवा	0	85.9938	0	0
9	गुजरात	497.604	558.52	2232.00	0
10	हरियाणा	124.6572	181.4448	155.00	237.6078
11	हिमाचल प्रदेश	280.31	237.4107	370.30	305.76554
12	जम्मू और कश्मीर	336.50626	577.9151	492.43	0
13	झारखंड	0	95.607	50.51	93.96
14	कर्नाटक	325.52	427.89	653.00	418.56788
15	केरल	1928.42	900.834	1293.40	574.916
16	मध्य प्रदेश	322.265	1379.488	912.20	629.266
17	महाराष्ट्र	497.35	808.0555	1031.20	553.333
18	मणिपुर	340.032	425.664	405.60	359.35
19	मेघालय	55.23	114.061	312.00	0
20	मिजोरम	1234.95	487.445	430.00	0
21	नगालैंड	357.846	565.871	882.20	777.83
22	ओडिशा	279.65	342.937	499.00	558.474
23	राजस्थान	453.87878	622.421	585.00	679.56789
24	सिक्किम	145.52	202.154	394.00	396.2745
25	तमिलनाडु	0	394.725	384.10	409.5048
26	तेलंगाना	0	157.0833	0	0
27	उत्तर प्रदेश	250.956	386.968	119.81	426.611
28	उत्तराखंड	545.30576	2979.361	1764.10	694.40627
29	पश्चिम बंगाल	237.66	657.992	960.60	800.61055
30	पुडुचेरी	0	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0	6.71	46.30	136.792
32	दिल्ली	0	0	551.90	0
33	डब्ल्यूआईआई, देहरादून- (उत्तराखंड)	0	932.00	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	90.31679
	कुल	**8994.54814**	**15000.00**	**16500.00**	**9305.60155**

*****

परिशिष्ट - सत्रह

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*268
06.12.2019 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संरक्षण

*268. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के नाम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;
(ख) क्या देश में वृक्षों की संख्या प्रतिवर्ष कम हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार उन राज्यों, जिनमें वृक्षों की संख्या कम है, में वृक्षों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) महानगरों में पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार ने क्या विशिष्ट प्रयास किये हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

''पर्यावरण संरक्षण'' के संबंध में श्री अनिल फिरोजिया द्वारा दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *268 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित महत्वपूर्ण स्कीमों, नामश: राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, एकीकृत वन्यजीव वास-स्थलों का विकास, प्राकृतिक संसाधनों और पारिप्रणालियों का संरक्षण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम और प्रतिपूर्ति वनीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। गत तीन वर्षों, अर्थात् 2016-17 से 2018-19 के दौरान, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 11,254.00 करोड़ रूपये की धनराशि (काम्पा के तहत 8,562.73 करोड़ रूपये सहित) जारी की गई है। विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है।

(ख) भारत-वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2017 के अनुसार, देश के वृक्षावरण में आईएसएफआर, 2015 की तुलना में 1243 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। इसके लिए मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी और निजी अभिकरणों और वन क्षेत्र के बाहर किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए वृक्षारोपण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आईएसएफआर, 2013, 2015 और 2017 के अनुसार देश का वृक्षावरण, क्रमश: 91,266 वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 2.78 प्रतिशत), 92.572 वर्ग किमी (भौगोलिक 2.82 प्रतिशत) और 93,815 वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 2.85 प्रतिशत) है। यह देश में वृक्षावरण में वृद्धि होने का रूझान दर्शाता है। सरकार की नीति यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सार्वजनिक या उपयोगिता वाली परियोजनाओं के लिए काटे गए वृक्षों की तुलना में उनसे अधिक वृक्षों का रोपण किया जाए।

(ग) राष्ट्रीय वानिकी नीति, 1988 में वन अथवा वृक्षावरण के तहत देश के कुल भूमि क्षेत्र के न्यूनतम एक-तिहाई क्षेत्र को बनाए रखने का राष्ट्रीय उद्देश्य परिकल्पित है। तथापि, रोपित किए गए वृक्षों की वास्तविक संख्या, वैयक्तिक रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उनकी स्वयं की आयोजना के आधार पर अंतिम रूप से तैयार की गई वार्षिक प्रचालन योजना पर निर्भर है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और राज्य/संघ शासित प्रदेश की स्कीमों/योजनाओं के तहत वनीकरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

(घ) समग्र, सजीव पर्यावरण प्रदान करने और स्वस्थ और सुखी नागरिकों के लिए स्मार्ट, स्वच्छ, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल और वहनीय शहरों में योगदान देने के दृष्टिकोण से शहरों में पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारत सरकार के पास पर्याप्त नीतियां/कार्यक्रम और पहलें हैं जैसे नगर वन योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), प्रधामंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई), राष्ट्रीय सौर मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, ग्रीन हाईवे नीति, राष्ट्रीय हरित नागरिक उद्भुयन नीति, राष्ट्रीय जल मिशन, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी)।

*****

अनुबंध-क

''□□□□□□□□ □□□□□□□'' □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ 06.12.2019 □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□. *268 □□ □□□ (□) □□ (□) □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ विवरण

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, नाम से प्रमुख स्कीम के तहत व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

करोड़ रुपए में

प्रमुख स्कीम का नाम : □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□				
क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	2.3829	3.8096	11.6497

C3

2	अरुणाचल प्रदेश	1.8134	1.8807	0.8908
3	असम	-	-	1.5079
4	बिहार	3.0638	4.977	0.5717
5	छत्तीसगढ़	27.26508	23.49192	14.2254
6	दिल्ली	0.5	0.3	-
7	गुजरात	5.5826	0.75	0.9216
8	हरियाणा	44.391	3.4606	-
9	हिमाचल प्रदेश	3.3136	4.492	2.9245
10	जम्मू और कश्मीर	0.9561	7.954	-
11	झारखंड	1.9963	1.05	1.0784
12	कर्नाटक	10.22803	5.14344	14.35779
13	केरल	1.6365	2.3453	2.7957
14	मध्य प्रदेश	6.808	10.418	38.2266
15	महाराष्ट्र	8.4871	9.9408	33.50728
16	मणिपुर	10.28305	11.81059	11.57012
17	मेघालय	1.2657	2.6925	1.8738
18	मिजोरम	17.9359	2.67	31.25984
19	नगालैंड	6.9051	6.7738	7.2376
20	ओडिशा	8.67104	6.57937	20.44865
21	पंजाब	-	6.9673	-
22	राजस्थान	1.7422	2.4491	2.94074
23	सिक्किम	6.292	1.4859	9.3062
24	तमिलनाडु	2.3064	1.05	2.0707
25	तेलंगाना	-	1.05	-
26	त्रिपुरा	1.9076	5.597	1.0973
27	उत्तर प्रदेश	3.9422	1.4209	1.3281
30	उत्तराखंड	3.0403	5.0424	6.9652
31	पश्चिम बंगाल	0.9283	0.75	0.5414
32	गोवा	-	-	0.8783
32	पुडुचेरी	-	0.3	0.4984
कुल		**183.6442**	**136.65252**	**220.67372**

टिप्पणी: राष्ट्रीय हरित भारत मिशन एक प्रमुख स्कीम है जिसमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन प्रबंधन का तीव्रीकरण नाम से स्कीमें शामिल है। वर्ष 2018-19 से वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम को दावानल निवारण और प्रबंधन के रूप में पुन:नामित किया गया है।

तदर्थ काम्पा के तहत खर्च किए गए धन का राज्यवार विवरण

करोड़ में रुपये

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों	2016-17	2017-18	2018-19
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	1.33	1.56
2	आंध्र प्रदेश	89.00	97.00	104.47
3	अरुणाचल प्रदेश	150.00	-	354.15
4	असम	30.00	70.00	45.84
5	बिहार	33.00	30.31	46.62
6	चंडीगढ़	1.00	1.13	1.27
7	छत्तीसगढ़	280.00	-	-

8	दादरा और नगर हवेली	-	-	-
9	दमन और दीव	-	-	-
10	दिल्ली	4.00	-	-
11	गोवा	-	-	-
12	गुजरात	99.00	27.00	212.66
13	हरियाणा	18.00	80.00	144.20
14	हिमाचल प्रदेश	150.62	120.00	132.52
15	जम्मू और कश्मीर	102.00	69.00	-
16	झारखंड	149.00	234.00	286.25
17	कर्नाटक	85.12	86.00	101.40
18	केरल	-	8.00	14.61
19	लक्षद्वीप	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	140.00	200.00	268.76
21	महाराष्ट्र	205.00	199.00	225.00
22	मणिपुर	15.00	29.50	24.85
23	मेघालय	-	7.00	-
24	मिजोरम	7.73	6.85	8.30
25	नगालैंड	-	-	-
26	ओडिशा	426.00	509.00	554.00
27	पुडुचेरी	-	-	-
28	पंजाब	66.00	64.00	79.20
29	राजस्थान	148.06	179.00	182.03
30	सिक्किम	9.00	-	-
31	तमिलनाडु	9.00	12.68	7.00
32	तेलंगाना	117.00	127.00	237.38
33	त्रिपुरा	12.00	7.10	16.70
34	उत्तर प्रदेश	97.00	144.00	150.60
35	उत्तराखंड	170.71	96.00	303.00
36	पश्चिम बंगाल	21.00	-	21.22
	कुल	**2,634.24**	**2,404.90**	**3,523.59**

विभिन्न अन्य प्रमुख स्कीम के तहत खर्च किए गए धन का राज्य-वार ब्यौरा

करोड़ में रुपये

क्रम सं.	प्रमुख स्कीम का नाम	स्कीम का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
1	वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास	वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास	448.94	0.00	0.00
2		बाघ परियोजना	-	345.00	323.17
3		परियोजना हाथी	-	24.19	29.12
4		वन्यजीव पर्यावासों का विकास	-	149.28	157.13
5	प्राकृतिक संसाधनों और पारिप्रणाली का संरक्षण	प्राकृतिक संसाधनों और पारिप्रणाली का संरक्षण	94.58	-	-
6		जलीय पारिप्रणाली का संरक्षण	-	55.80	63.70
7		जैवविविधता संरक्षण	-	22.19	11.90
8		कोरल और मैंग्रोव का संरक्षण	-	13.15	-
9	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	97.40	171.75	143.00
		कुल	**640.92**	**781.36**	**728.02**

(Q.268)

श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं कि मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए पानीपत से पोरबंदर तक 1400 किलोमीटर जंगल की दीवार बनाने की योजना बनाई जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी वन दीवार के लिए योजना बनाई है? ऐसे वन आवरण की कार्बन अवशोषण क्षमता क्या होगी?

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: आप एक साथ दो प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अनिल फिरोजिया : मेरे अतारांकित प्रश्न के अनुसार यह पता चला है कि चंबल नदी में ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ प्रतिदिन 11 लाख लीटर उपचारित अपशिष्ट का उत्सर्जन कर रही है। क्या ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में एसएफडी ने बैंक गारंटी के साथ समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत की है, अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्या प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार शून्य निर्वहन जनवरी, 2021 को या उससे पहले उद्योगों द्वारा शर्त प्राप्त की जाएगी? क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों के लिए कोई जुर्माना तय किया है? यदि वे प्रस्तावित कार्य योजना का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं, पोरबंदर से हरियाणा तक वन दीवार की बात कही गई है, इसके लिए प्रपोजल तैयार हो रहा है। यह अभी तैयार नहीं हुआ है।

एक अच्छी खबर है कि देश में पिछले पांच सालों में जंगल में और बाहर भी ट्री कवर 13,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। यह अच्छी खबर है। दुनिया में केवल दो-तीन देशों में ही ग्रीन कवर बढ़ा है। इसमें भारत का भी नंबर है, यह हम सबको अच्छा लगना चाहिए।

महोदय, विकास के लिए कभी-कभी पेड़ रिमूव करने पड़ते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करते हैं। अगर कहीं एक पेड़ रिमूव हुआ तो उसके एवज़ में दस पेड़ लगते हैं, बढ़ते हैं, हमने इसकी व्यवस्था की है। कैम्पा, कम्पेंनसेटरी एफोरेस्टेशन में हम ऐसा करने जा रहे हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए इतने पेड़ रिमूव किए हैं, तो दूसरा स्थान होगा जहां कम्पेनसेटरी एफोरेस्टेशन होगा। इन दोनों की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रहेगी और हर साल उस वैकल्पिक जंगल की कितनी बढ़ोतरी हो रही है, सब देख सकेंगे। दूसरा सवाल आपने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा है। उसके लिए हम एक विशेष दल को वहां भेजकर स्थिति का जायजा लेंगे और आवश्यक निर्णय करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: यह क्वैश्चयन तो आपका था। आप तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। उज्जैन से पोरबन्दर तक पहुंच गए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, in regard to Mr. Gaurav Gogoi's Q. No 262, the Hon. Minister has submitted a detailed list.

माननीय अध्यक्ष: यदि आप प्रश्न 268 पूछना चाहते हैं तो पूछिए।

...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, this is related to the answer to this Question.

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चयन 262 के बारे में मत पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, वह क्वैश्चयन नहीं है।

Sir, 102 cities have already been identified in 23 States and the National Conservation Programme is there. My specific question to the hon. Minister is whether any fund has been allocated under this programme in these 102 cities.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Every city has a specific pollution mix and pollution problem. The basic pollution causes are vehicular pollution, dust pollution, and construction-demolition waste. Simultaneously, there are waste management and biological fires as well as very importantly, industrial pollution.

So, we have asked all cities to draw their own city-specific plans. To prepare that plan, the Central Government has sanctioned Rs. 10 crore each to million-plus population cities, and likewise other amount for lesser number of cities. But 102 cities have been selected in this programme.

The hon. Member comes from Kerala. As he must be knowing, many cities are very good in Kerala and there is no issue of pollution. So, there, we will not giving any funds but at other places, we are giving it.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : Sir, the hon. Minister has said that there is going to be a lot of tree plantation. We welcome it. But last week, in one of his answers, he had spoken about mangrove forest also. In Tamil Nadu, especially Ennore Creek area and Pulicat Wetlands, because of the port expansion activities, nearly 2,000 acres of land is being affected. The Ennore Creek is being taken over by the Port Authorities for expansion of the

port. But this puts nearly 10,00,000 people in the city of Chennai at the risk of flooding.

So, what is the Minister's reply to this question? Thank you.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, Shrimati Kanimozhi's question is very specific one, relating to Pulicat and Ennore. I will definitely give her answer, in detail, in a separate communication. But let me tell her that mangroves are also increasing, and at the same time, when we sanction removal of mangroves from one area for a very essential development, we also ask them to plant in the ratio of 1:3 times of mangroves. We are succeeding here. The total mangrove cover of India is increasing.

SHRI VINCENT H. PALA : Sir, I know that the hon. Minister has given a reply for plantation of trees; and the Government is spending an amount of almost R. 220 crore every year for plantation of trees. Like in my State Meghalaya, we have seen that during planation, they plant small trees. But these small trees would get spoiled by animals; and during the winter, when the people burn fire, these trees would get spoiled.

So, would the hon. Minister allow the State Government that instead of planting small tress, they may acquire the existing forest? Would he sanction money for that? Instead of planting small tress where there is no guarantee that these trees would survive, fresh forests may be an option.

So, will the hon. Minister allow this in his guideless?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Actually, you cannot plant a very big tree because it is already existing. So, you have to plant a small sapling, and from there, it grows. But now, there are various methods by which eight to ten feet well-grown trees also can be planted, and then they grow up in a natural way. Then it grows up in a natural way. So, that is the area, and the State Forest Departments have been given concrete suggestions how to maintain the plantation and how to have a survival rate of more than 80 per cent to 90 per cent. That we have already discussed even in the Forest Ministers Meeting which was held last week.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : Thank you, Sir. Through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister to this. Is he aware that the life expectancy at birth of Indians is being shortened for each of us by 4.3 years at the moment due to environmental pollution including water, air, and everything together? So, what is the Government and the Ministry doing to mitigate the effect of the environment pollution so that we do not lose these four years that each of us breathing today loses? Thank you, Sir.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: We in the Government have discussed a lot on pollution not only of Delhi but all over the country. I have explained how the Government is very proactively taking actions to mitigate the vehicular pollution, industrial pollution, the biomass pollution, and also the dust pollution. It is because these are the main four areas where we need action. We are already taking action. It is bearing fruits. That is one thing.

At the same time, let me clarify that such studies carried out by various institutes may not be based on first generation data. On a secondary data, they interpolate, extrapolate, and then come out with conclusions based on a model study. So, let us not create a fear psychosis among people because pollution problem is all over the globe. In Los Angeles, in European cities, everywhere, there is pollution due to different factors. But there is no direct correlation as per the studies we have conducted. The studies conducted in India have not shown a direct correlation of shortening of life because of pollution.

HON. SPEAKER: Dr. D. Ravikumar – Not present.

Sushri S. Jothimani.

परिशिष्ट – अठारह

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3084
06.12.2019 को उत्तर के लिए

पशुओं और पक्षियों का शिकार

3084. डॉ. भारतीबेन डी॰ श्यालः
श्रीमती क्रीन ओझाः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पशुओं और पक्षियों के गैर-कानूनी व्यापार और शिकार से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कोई हेल्पलाइन विद्यमान है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का पशुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल कृतिक बल स्थापित करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री s
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क), (ख), (ग) और (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पशुओं के अवैध व्यापार और शिकार से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबर और मोबाइल टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए माननीय सदस्यों के सुझाव का स्वागत करता है। मंत्रालय वन्यजीव अपराधों के बेहतर प्रवर्तन हेतु माननीय सदस्यों के इस सुझाव पर विचार करेगा।

******

परिशिष्ट – उनतीस

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1109
07.02.2020 को उत्तर के लिए

मिथाइल आइसोसाइनेट पर प्रतिबंध

1109. श्री फिरोज़ वरूण गांधी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मिथाइल आइसोसाइनेट पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रसायन उद्योग में हुई रसायन दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार का रसायन उद्योगों के अलग-अलग पहलुओं को विनियमित करने वाला एक व्यापक कानून बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का राष्ट्रीय रसायन नीति जो वर्ष 2012 से लंबित है, लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) मिथाइल आइसोसाइनेट को खतरनाक रसायनों के उत्पाद, भण्डारण और आयात नियमावली, 1989 (एमएसआईएचसी नियमावली, 1989) और रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियमावली, 1986 (सीएईपीपीआर नियमावली, 1996) के प्रावधानों के तहत विनियमित किया गया है। इसीलिए, रसायन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, पिछले तीन वर्षों में 119 प्रमुख/छोटी रासायनिक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं।

(घ) पर्यावरणीय प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी पहलुओं के समाधान के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत रासायनिक उद्योगों की स्थापना और प्रचालन विनियमित किए जाते हैं। इसके अलावा, देश में रसायनों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग (डीसीपीसी) ने रसायन (सुरक्षा और प्रबंधन) नियमावली का एक प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित नियमों की रूपरेखा, क्षेत्र, व्याप्ति और सीमा को अंतिम रूप देने हेतु संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

(ड.) डीसीपीसी ने एक 'विजन डोक्यूमेंट 2024' तैयार किया है। इस आलेख में शामिल पहलें और प्रस्तावित कार्रवाईयां राष्ट्रीय रसायन नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। डीसीपीसी ने 'राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल नीति 2007' भी तैयार की है। तदनुसार डीसीपीसी ने यह निर्णय लिया है कि एक अलग राष्ट्रीय रसायन नीति की कोई आवश्यकता नहीं है।

*****

परिशिष्ट – बीस

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2660
06.03.2020 को उत्तर के लिए

नदी तटों पर मृदा अपरदन

2660. **श्री अजय मिश्र टेनी:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रत्येक वर्ष अनवरत बाढ़ों के कारण नदी तटों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए लोगों को वनीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसी योजना के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मृदा अपरदन से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान मृदा अपरदन रोकने के लिए आरक्षित ऐसी भूमियों का अनुमानित क्षेत्र तथा परिकल्पित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, नमामि गंगे कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई), देहरादून द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार "गंगा में वानिकी कार्यकलाप" परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में, पांच राज्यों नामत: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के तटों पर 1.34 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में स्थान विशेष में वृक्षारोपण का प्रस्ताव किया गया है। डीपीआर में, चार प्रमुख शीर्षों नामत: प्राकृतिक भू-परिदृश्य, कृषि भू-परिदृश्य, शहरी भू-परिदृश्य और संरक्षण कार्यकलाप, जिनमें मृदा और जल संरक्षण शामिल है, में 43 वृक्षारोपण मॉडलों को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2016 से 2020 के दौरान, गंगा के तटवर्ती पांच राज्यों के वन विभागों द्वारा कार्यान्वित नमामि गंगे योजना के तहत 26,764 हेक्टेयर से अधिक भू-क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया गया है। जिसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमजीसी) के तहत 337.22 करोड़ रू. की निधि जारी की गई है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आईसीएफआरई को एक तकनीकी अध्ययन का कार्य सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य भारत की 13 प्रमुख नदियों के किनारे मृदा अपरदन को कम करने, वनों की गुणवत्ता में सुधार लाने, जल धाराओं में जल की सतत आपूर्ति बढ़ाने हेतु मिट्टी की आर्द्रता में वृद्धि करने आदि के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों एवं उपायों की आवश्यकता का आकलन करना और नदी बेसिनों के संरक्षण हेतु बीच-बीच में वानिकी कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना है। इस अध्ययन में व्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतुलुज, लोनी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों को शामिल किया गया है।

*****

परिशिष्ट - इक्कीस

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3222

13.03.2020 को उत्तर के लिए

वृक्षारोपण

3222. कुमारी चन्द्राणी मुर्मु:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नदी, नालों आदि के तटबंधों के दोनों ओर वृक्षारोपण करके नदी, नालों आदि को हरित बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति (एनएफसी), 1988 नदियों, जल-धाराओं और नहरों के साथ-साथ भूमि क्षेत्रों सहित भिन्न्-भिन्न प्रकार की भूमि क्षेत्रों पर वृक्षारोपण करने को प्रोत्साहित करती है।

देश में वन और वृक्षावरण में और वृद्धि और सुधार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने विभिन्न पहले शुरू की हैं। इनमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और वन्यजीव वास-स्थलों का विकास शामिल है। प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि नियम, 2018 में सहायित प्राकृतिक पुनरूदभव, कृत्रिम पुनरूदभव और वनों में वनवर्धन प्रचालन शुरू करने के लिए प्रावधान शामिल है, जो वनावरण में वृद्धि में योगदान देते हैं। वनेत्तर क्षेत्रों में कार्यकलापों सहित विभिन्न कार्यक्रमों/वित्तीय स्रोतों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की स्कीमों/योजनाओं के तहत और कॉरपोरेट निकायों, सार्वजनिक संस्थानों, सिविल सोसाइटी, एनजीओ द्वारा भी वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू जाते हैं।

जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) नममि गंगे कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें गंगा नदी और पांच राज्यों, अर्थात् उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम

बंगाल में इसकी सहायक नदियों के तटों के साथ-साथ पौध रोपण करना है। वर्ष 2016 और 2020 की अवधि के दौरान अभी तक कार्यक्रम के तहत 26,764 हेक्टेयर पर पौध रोपण किया गया है और एनएमसीजी ने उसके लिए 337.22 करोड़ रूपये प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 13 प्रमुख भारतीय नदियों के नदी भूदृश्य के साथ-साथ पौध रोपण मॉडेल, मृदा अपरदन में कमी करने के उपायों, वनों की गुणवत्ता में सुधार करने, मृदा नमी व्यवस्था में अभिवृद्धि करने, जल धाराओं आदि में पानी की सतत आपूर्ति का संवर्धन करने और नदी बेसिनों के नवीकरण हेतु वानिकी माध्यम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए हस्तक्षेप करने और सुझाव देने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए आईसीएफआरई को एक तकनीकी अध्ययन सौंपा है। इस अध्ययन में व्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, लूनी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां शामिल हैं।

****

परिशिष्ट - ०।६अ

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *381
20.03.2020 को उत्तर के लिए

सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

*381. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री अशोक महादेवराव नेतेः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों की लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय/वन मंजूरी न मिल पाने की वजह से केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी लंबित परियोजनाओं का आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यावरणीय/वन मंजूरी प्रदान किये जाने में विलंब के क्या कारण हैं तथा वर्तमान वर्ष के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास कब से विचाराधीन हैं; और

(ङ) इन लंबित परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

"सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी" के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा दिनांक 20.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 381 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क)

जी हां।

(ख) से (घ)

I. मंत्रालय के पास ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। मंत्रालय को प्रस्तुत की गई सामान्य शर्तों को पूरा कर रही और केन्द्र के स्तर पर लंबित लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (सीसीए:10,000 हेक्टेयर से कम), का विलम्ब के कारणों सहित ब्यौरा निम्नवत तालिकाबद्ध किया गया है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	प्रस्तुति की तारीख	विलंब के कारण
1	**महाराष्ट्र**	जिला: सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में **नारदवे मध्यम सिंचाई परियोजना** (सीसीए: 9,978 हेक्टेयर)	04.01.2019	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करना।
2	**तेलंगाना**	तेलंगाना के आदिलाबाद जिला **में पेंगांगा** नदी पर **चनक्का-कोरटा (रूधा) बैराज** अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना, (सीसीए: 6677.00 हेक्टेयर)	16.04.2019	परियोजना प्रस्तावक द्वारा महाराष्ट्र राज्य में शामिल वनभूमि के लिए अवस्था-I वन स्वीकृति (एफसी) को प्रस्तुत नहीं करना।
3	**तेलंगाना**	तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में **मोदीकुंटा वागु सिंचाई परियोजना** (सीसीए: 5,500 हेक्टेयर)	16.12.2019	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करना ।
4	**मध्य प्रदेश**	जिला दमोह में **सतधारू मध्यम सिंचाई परियोजना** (सीसीए: 7,555	18.05.2019	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करना।

		हेक्टेयर)		
5	**ओडिशा**	ओडिशा के मयूरभंज जिले में जल संसाधन विभाग ओडिशा सरकार की **खैरीभंदन बैराज सिंचाई परियोजना** (सीसीए: 6,950 हेक्टेयर)	23.08.2019	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करना।
6	**आंध्र प्रदेश**	पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर **कोई लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना लंबित नहीं है** ।		

II **पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय स्तर पर ईएसी की सिफारिशों के पश्चात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) सभी सिंचाई परियोजनाएं:**

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति की तारीख
1.	मध्य प्रदेश	जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पारबती (रिंसी) प्रमुख सिंचाई परियोजना (सीसीए: 48,000 हेक्टेयर)	11.12.2019
2.	उत्तराखंड	सिंचाई विभाग, उत्तराखंड द्वारा जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना (सीसीए: 57,065 हेक्टेयर)	13.12.2019
3.	बिहार	मेसर्स जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य में कोसी-मेची इंट्रास्टेट लिंक परियोजना के तहत सिंचाई के उद्देश्य से कोसी-मेची इंट्रास्टेट लिंक परियोजना (सीसीए: 2,14,812 हेक्टेयर) (पूर्वी कोसी मुख्य नहर (41.30 किमी) से परे मौजूदा बैराज पर 76.20 किमी लंबी नहर का निर्माण)	01.08.2019
4.	ओडिशा	मेसर्स जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा बरगढ़ जिला, ओडिशा में जीरा सिंचाई परियोजना (सीसीए: 4,800	21.05.2019

		हेक्टेयर)	
5.	मध्य प्रदेश	जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना (सीसीए: 9,900 हेक्टेयर)	08.04.2019
6.	तेलंगाना	सीता राम सिंचाई परियोजना (सीसीए: 1,33,085 हेक्टेयर), जिला भद्राद्री कोठागुडेम, तेलंगाना	07.01.2019
7.	तेलंगाना	कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (सीसीए:18.211 हे.) कन्नपल्ली गांव के पास, महादेवपुर मंडल, जयशंकर भूपालपल्ली जिला, तेलंगाना	25.02.2020

III. मंत्रालय में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। प्राप्त किए गए लघु और मध्यम सिंचाई से संबंधित प्रस्तावों, जो मंत्रालय के विचाराधीन है, की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न की गई है।

IV. लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) नियमों और दिशानिर्देशों के तहत कार्यपद्धितयों प्रक्रिया और मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत और गैर-वानिकी उपयोग हेतु प्रदान किए गए अनुमोदन का ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न किया गया है।

(ङ.)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति को शीघ्र जारी करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. देश में पर्यावरण, वन और वन्यजीव और सीआरजेड स्वीकृतियों हेतु संपूर्ण ऑन-लाईन, त्वरित और पारदर्शी प्रणाली हेतु परिवेश नामक (प्रो.एक्टिव और रिस्पान्सिव फेसिटिलेशन बाए इंटरऐक्टिव, वर्चुअस एण्ड एनवायरमेंटल सिंगल-विंडो हब) सिंगल-विंडो एकीकृत पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत की गई है।
2. विचारार्थ विषयों का मानकीकरण किया गया।
3. एक बार में टीओआर की अधिमान्यता को चार वर्षों से बढ़ाकर पांच वर्ष तक किया गया।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का मानकीकरण किया गया।
5. परियोजना प्रस्तावकों को एसएमएस के जरिए चेतावनी देने का प्रावधान किया गया।
6. राज्य स्तर के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण को और अधिक परियोजनाएं प्रत्यायोजित की गई।
7. आवेदन हेतु प्रपत्रों का मानकीकरण किया गया।

****

अनुबंध- I

वन स्वीकृति के लिए भारत संघ के विचाराधीन सिंचाई प्रस्तावों की सूची		
क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1	बांदा सिंचाई परियोजना, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
2	मंडी जिले के सेराज ब्लॉक के हिस्से के लिए मार्फत बाली चौकी और बहु ग्राम समूह पाईप युक्त जलापूर्ति योजना। (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश
3	सोम्ब नदी पर सोम्ब सरस्वती बैराज का निर्माण।	हरियाणा
4	सोनभद्र जिले (यूपी) में 127.1637 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कान्हर सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए अपवर्तित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि	उत्तर प्रदेश
5	जावर माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	मध्य प्रदेश
6	अम्मादद टैंक	छत्तीसगढ़
7	उमा बैराज	छत्तीसगढ़
8	नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	मध्य प्रदेश
9	सतधारु मध्यम टैंक परियोजना	मध्य प्रदेश
10	ऊपरी लैंथ मध्यम सिंचाई परियोजना	ओडिशा
11	आईएसपी कालीसिंध लिंक परियोजना चरण-I	मध्य प्रदेश

अनुबंध II

एफसी अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु चालू वर्ष में प्रदत्त राज्य-वार अंतिम अनुमोदन दर्शाता विवरण

श्रेणी: सभी श्रेणियाँ केस की स्थिति: अनुमोदित		अवधि के दौरान: 01/01/2019 से 16/03/2020 तक	
क्रम सं.	राज्य / संघशासित प्रदेश	मामलों की संख्या	अनुमोदित क्षेत्र (हे. में)
1	आंध्र प्रदेश	5	196.933
2	अरुणाचल प्रदेश	1	4577.84
3	असम	1	1.00
4	बिहार	33	461.79
5	छत्तीसगढ	1	207.99
6	गोवा	1	0.93
7	गुजरात	258	1719.66
8	हरियाणा	389	645.86
9	हिमाचल प्रदेश	78	671.93
10	झारखंड	17	933.89
1 1	कर्नाटक	17	221.67
12	केरल	2	0.26
13	मध्य प्रदेश	271	2139.22
14	महाराष्ट्र	3	183.79
15	मणिपुर	1	24.50
16	मेघालय	2	0.03
17	मिजोरम	3	46.48
18	ओडिशा	20	5171.44
19	पंजाब	186	439.80
20	राजस्थान	47	474.84
21	तमिलनाडु	8	28.29
22	तेलंगाना	29	2113.18
23	त्रिपुरा	11	266.67
24	उत्तर प्रदेश	45	82.08
25	उत्तराखंड	93	256.55
26	पश्चिम बंगाल	2	102.33
27	कुल योग	1524	20968.94
28	उत्तर प्रदेश	0	0.00
29	उत्तराखंड	60	171.64
30	पश्चिम बंगाल	3	124.87
कुल योग		**574**	**7576.61**

नोट: शेष छह राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में वनक्षेत्र का अपवर्तन नहीं हुआ था

कार्यवाही सारांश

परिशिष्ट - तेईस

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2021-2022)
(सत्रहवीं लोक सभा)
नौवीं बैठक
(06.06.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष सं. 'दो', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - **सभापति**

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री संतोष पान्डेय
6. श्री एम.के. राघवन

सचिवालय

1. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव
2. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

साक्षी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

1. सुश्री लीना नंदन, सचिव (ईएफ एंड सीसी)
2. श्री चंद्र प्रकाश गोयल, डीजीएफ एंड एसएस
3. श्री नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव
4. श्री तन्मय कुमार, अपर सचिव
5. श्रीमती रिचा शर्मा, अपर सचिव

6. श्री एस.पी. यादव, अपर महानिदेशक (एफसी)
7. श्री बिवाश रंजन, अपर महानिदेशक (डब्ल्यूएल)
8. श्री जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव
9. श्री सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

<u>जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)</u>

1. श्री संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव
2. श्री बिधु भूषण बर्मन, वैज्ञानिक जी
3. श्री अंजनी प्रसाद सिंह, वैज्ञानिक ई

<u>रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)</u>

1.श्री केके श्रीवास्तव, निदेशक

<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

1. श्री पी.के. हलदर - अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 34 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 25 ज्ञापनों पर विचार करने और (ii) लंबित आश्वासनों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है|

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

3. तत्पश्चात्, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। समिति की बैठक में साक्षियों का स्वागत करते हुए सभापति ने उनका ध्यान बैठक की गोपनीयता बनाए रखने की तरफ आकर्षित किया और कहा कि समिति के विचार-विमर्श की जानकारी तब तक किसी को न दें जब तक प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता ।

तत्पश्चात् समिति ने लंबित आश्वासनों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। मंत्रालय के बड़ी संख्या में आश्वासनों के लंबे समय से लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए सभापति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि से मंत्रालय के लंबित आश्वासनों के बारे में और साथ ही मंत्रालय में लंबित आश्वासनों की निगरानी और समीक्षा संबंधी आंतरिक तंत्र की जानकारी भी मांगी।

4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक के बारे में समिति को जानकारी दी। सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से लंबित आश्वासनों की निगरानी संबंधी अपनी समीक्षा बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने को कहा।

5. तत्पश्चात, सदस्यों ने लंबित आश्वासनों के संबंध में कई प्रश्न पूछे और स्पष्टीकरण मांगे। साक्षियों ने इन प्रश्नों के उत्तर और साथ ही स्पष्टीकरण भी दिए। चूंकि कुछ प्रश्नों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विस्तृत उत्तर और जानकारी की आवश्यकता थी, इसलिए सभापति ने इनके संबंध में साक्षियों से समय से लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा।

6. सभापति ने साक्षियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों और मांगे गए स्पष्टीकरणों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

अनुबंध-तीन

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) लोक सभा

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित लंबित/कार्यान्वित आश्वासनों का ब्यौरा जिनपर 06.06.2022 को मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा की जानी है-

क्रम सं	ता.प्र./अता.प्र.सं और दिनांक	विषय
1. @	अता.प्र.सं.1175 दिनांक 08.08.2011	नदी क्षेत्र नियंत्रण अधिनियम
2. @	अता.प्र.सं.7245 दिनांक 21.05.2012	नदी विनियमन क्षेत्र
3. @	अता.प्र.सं. 3688 दिनांक 17.12.2012	नदी विनियमन ज़ोन
4.	अता.प्र.सं.415 दिनांक 01.12.2015	शिकार का विनियमन
5. @	ता.प्र.सं.224 दिनांक 15.12.2015 (डॉ. मनोज रजोरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	समुद्रतट का प्रबंधन
6.	अता.प्र.सं.1587 दिनांक 25.07.2017	वन नीति का कार्यान्वयन
7. #	अता.प्र.सं.847 दिनांक 14.12.2018	पश्चिमी घाटों का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र
8. #	अता.प्र.सं.1051 दिनांक 08.02.2019	पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र
9. #	अता.प्र.सं.1122 दिनांक 08.02.2019	पश्चिमी घाटों का संरक्षण
10.	अता.प्र.सं.80 दिनांक 21.06.2019	वन आधारित परियोजनाएं
11.	ता.प्र.सं.296 दिनांक 12.07.2019	जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन
12.	अता.प्र.सं.4538 दिनांक 19.07.2019	ईआईए अधिसूचना में संशोधन

13.	ता.प्र.सं.82 दिनांक 22.11.2019 (श्रीमती मेनका संजय गांधी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	प्लास्टिक का रिसाइक्लिंग
14.$	अता.प्र.सं.1042 दिनांक 22.11.2019	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
15.$	अता.प्र.सं.2060 दिनांक 29.11.2019	वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण
16.	ता.प्र.सं.268 दिनांक 06.12.2019 (श्री अनिल फिरोजिया,संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	पर्यावरण संरक्षण
17.	अता.प्र.सं.3084 दिनांक 06.12.2019	पशुओं और पक्षियों का शिकार
18.	अता.प्र.सं.1109 दिनांक 07.02.2020	मिथाइल आइसोसाइनेट पर प्रतिबंध
19.%	अता.प्र.सं.2660 दिनांक 06.03.2020	नदी तटों पर मृदा अपरदन
20.%	अता.प्र.सं.3222 दिनांक 13.03.2020	वृक्षारोपण
21.	ता.प्र.सं.381 दिनांक 20.03.2022	सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

@ समान विषय

समान विषय

$ समान विषय

% समान विषय

परिशिष्ट - चौबीस

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दूसरी बैठक

(20.12.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कमरा संख्या 216, (सभापति कक्ष), 'बी' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री खगेन मुर्मु
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री एम.के. राघवन
7. श्री चन्द्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	संयुक्त सचिव
2. डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास	निदेशक
3. श्री महेश चन्द गुप्ता	उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव	अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित पांच (05) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:-

(एक) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय से

संबंधित प्रारूप 74वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(दो) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 75वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(तीन) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)' विषय से संबंधित प्रारूप 76वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(चार) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 77वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा); और

(पांच) 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप 78वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

2. समिति ने माननीय सभापति को चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट-पच्चीस

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)* की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. प्रो. सौगत राय**
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पान्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुप्ता - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय के दिनांक 01 जून, 2022 को त्याग पत्र देने के कारण समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया, देखिए दिनांक 06 जून, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 4711